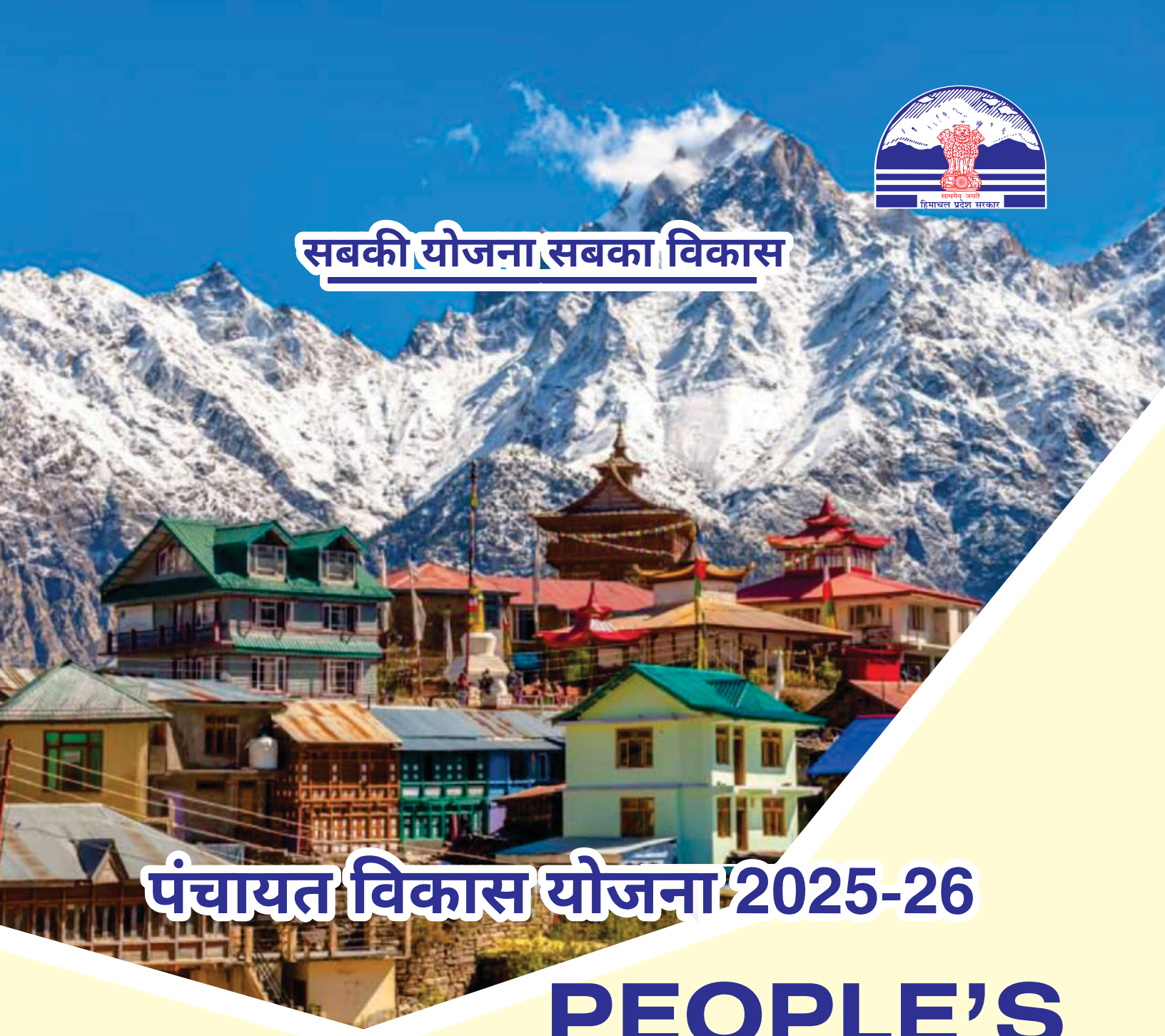

सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

सबकी योजना सबका विकास

पंचायत विकास योजना 2025-26

PEOPLE'S PLAN CAMPAIGN

PPC

2024-25

ग्राम पंचायत विकास योजना
सबकी योजना सबका विकास
पंचायती राज

पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश

ग्राम पंचायत विकास योजना
सबकी
योजना
सबका विकास
पंचायती राज

विषयसूची

विषय	पृष्ठ क्रमांक
अध्याय 1 - परिचय	1
XI अनुसूची में 29 सेक्टर	2
अध्याय 2 - ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने की प्रक्रिया	13
अध्याय 3 - ब्लॉक एवं जिला पंचायत विकास योजना तैयार करना	19
अध्याय 4 - पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा) क्षेत्रों में जीपीडीपी	26
अध्याय 5 - पीआरआई और एसएचजी अभिसरण और जीपीडीपी के लिए वीपीआरपी	29
अध्याय 6 - जीपीडीपी की तैयारी के लिए ग्राम सभा	34
अध्याय 7 - सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण और पंचायत विकास योजनाओं में एकीकरण	37
Annexure	
ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश	45
सुविधाकर्ता की रिपोर्ट का टेम्पलेट	46
सुविधाकर्ता की रिपोर्ट का प्रारूप (जिला/ब्लॉक पंचायत)	48
ग्राम पंचायत योजना सुविधा टीम (GPPFT)	50
ग्राम पंचायतों की विषयगत स्थायी समितियाँ	51
मॉक GPDP योजना	57
Success Stories	63

अध्याय 1 - परिचय

1.1 पृष्ठभूमि

1.1.1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243जी पंचायतों को 'स्थानीय स्वशासन' की संवैधानिक संस्थाओं के रूप में मान्यता और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने का अधिकार देता है। स्थानीय सरकार के रूप में, पंचायतें स्थानीय नागरिकों को बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने और गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों की कमज़ोरियों को दूर करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। यह केवल सभी उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से सोची-समझी भागीदारी, समावेशी और अभिसरण स्थानीय विकास योजनाओं की तैयारी और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

1.1.2 यह परिकल्पना की गई है कि नियोजन प्रक्रिया साक्ष्य आधारित, व्यापक और सहभागितापूर्ण होनी चाहिए, जिसमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/लाइन विभागों की योजनाओं के साथ अभिसरण शामिल हो। ये 29 विषय सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए काफी प्रासंगिक है। इसलिए, एसडीजी को अंतिम छोर तक, यानी ग्राम पंचायत स्तर तक ले जाने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें गैर-भाग IX क्षेत्रों के पारंपरिक निकायों सहित सरकार के तीसरे स्तर के व्यापक नेटवर्क और मजबूत संस्थागत तंत्र का लाभ उठाया गया।

XI अनुसूची में 29 सेक्टर

- कृषि विकास एवं विस्तार
- गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
- भूविकास, भूमिसुधार लागू करना, भूसंगठन एवं भूमि संरक्षण
- शिक्षा
- लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटरशेड विकास

- व्यावसायिक शिक्षा
- पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय तथा मत्यपालन
- वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा
- मत्स्य पालन
- पुस्तकालय
- सामाजिक वानिकी

- सांस्कृति गतिविधियां
- लघु वनोपज
- बाजार और मेले
- लघु उद्योग
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

- खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग
- परिवार कल्याण
- ग्रामीण आवासन
- महिला बाल विकास
- पेय जल
- समाज कल्याण
- ईंधन और चारा
- कमजोर वर्ग का कल्याण
- सड़कें
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- ग्रामीण विद्युतीकरण
- सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव
- गैर-परंपरागत ऊर्जा

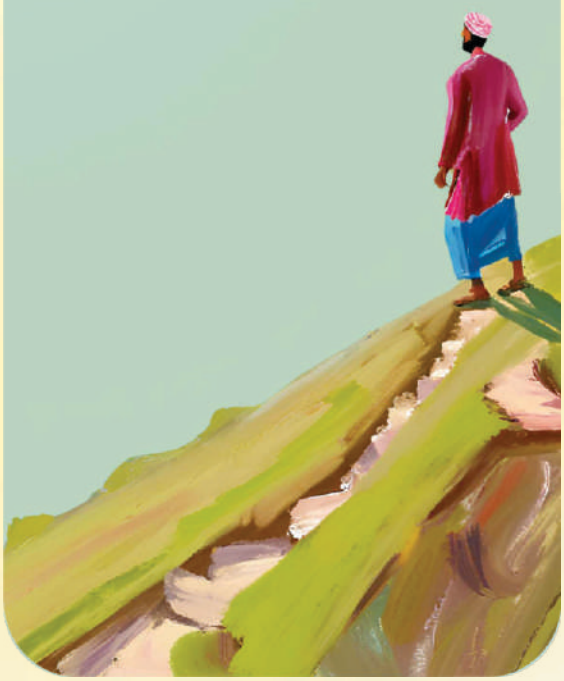

1.1.3 तदनुसार, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के माध्यम से जमीनी स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) को स्थानीय बनाने के लिए 17 सतत् विकास लक्ष्यों को 9 व्यापक विषयों में सम्मिलित करते हुए विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें 'संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज' का दृष्टिकोण अपनाया गया है। मंत्रालय द्वारा विषयगत दृष्टिकोण अपनाने के बाद, पंचायत विकास योजनाएं (पीडीपी) 2023-24 से विषयगत गतिविधियों के आधार पर तैयार की जा रही हैं ताकि वर्ष 2030 तक पंचायतों के सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से एसडीजी को प्राप्त किया जा सके, जिसमें (i) सभी प्रमुख योजनाओं का अभिसरण, (ii) प्राथमिकता वाली जरूरतों की संतृप्ति, और (iii) पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग का दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

1.1.4 एसडीजी के अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे को प्राप्त करने के लिए संतृप्ति दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए, डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्राप्त साक्ष्य/वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार पर अंतरालों की पहचान करना बहुत आवश्यक है। तदनुसार, मंत्रालय ने पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसका उपयोग प्रगति तक पहुँचने और अंतरालों की पहचान करने के लिए किया जाएगा ताकि योजना तैयार की जा सके और चरणबद्ध तरीके से आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे लागू किया जा सके।

1.2 जन योजना अभियान (पीपीसी)

1.2.1 पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए 2 अक्टूबर 2018 से जन योजना अभियान (पीपीसी) को "सबकी योजना सबका विकास" के रूप में शुरू किया गया था। ग्राम सभाओं के आयोजन, अन्य हितधारकों की भागीदारी और पंचायत विकास योजना निर्माण प्रक्रिया को निरंतरता प्रदान करने में अभियान के संतोषजनक प्रदर्शन से प्रेरित होकर, वर्ष 2018 से हर साल यह अभियान चलाया जा रहा है।

1.2.2 जन योजना अभियान (पीपीसी) देशभर में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए समयबद्ध तरीके से भागीदारी पूर्ण पंचायत विकास योजनाओं (पीडीपी) की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है, जिसमें पंचायतों के सभी तीन स्तरों पर एक अभियान के रूप में निर्वाचित प्रतिनिधियों, संबंधित विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) और अन्य संबंधित हितधारकों की सक्रिय भागीदारी होगी।

1.2.3 जन योजना अभियान (पीपीसी) 2024-25 को 2 अक्टूबर 2024 से 'सबकी योजना सबका विकास' के रूप में शुरू किया जाएगा। अभियान के दौरान अगले वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) और जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) की तैयारी के लिए संरचित वार्ड सभा/महिला सभा ग्राम सभा/ब्लॉक सभा/जिला सभा आयोजित की जाएगी।

1.2.4 अभियान के दौरान संपूर्ण प्रक्रिया की सफलतापूर्वक पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए, अभियान के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों को पूरा करने की योजना बनाई गई है।

- विभिन्न संचार माध्यमों के उपयोग के माध्यम से अभियान के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर वातावरण तैयार करना।
- ग्राम सभा के आयोजन के लिए पोर्टल पर ग्राम सभावार कैलेंडर तैयार करना (https://gpdp.nic.in/)
- गांव या वार्ड स्तर पर लाइन विभागों, स्वयं सहायता समूहों/सीबीओ और उनके महासंघों के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ना।
- विषयगत विकासात्मक अंतराल की पहचान पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) पर आधारित, जिसे ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
- विकासात्मक आवश्यकताओं/अंतरालों पर चर्चा
- विशेष ग्राम सभा में संबंधित विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में प्रस्तुति।
- विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विकास हेतु निधियों के उपयोग की स्थिति के सक्रिय अवलोकन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक सूचना बोर्ड (पीआईबी) का प्रदर्शन।
- पीआईबी और ग्राम सभा की बैठकों की जियो-टैग की गई तस्वीरों को gpdp.nic.in पोर्टल पर अपलोड करना। पंचायत निर्णय मोबाइल एप्लीकेशन /मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग ग्राम सभा की समय-सारणी बनाने, नोटिस और एजेंडा प्रसारित करने, कार्यवृत्त तैयार करने और कार्यवाही का रिकॉर्ड रखने आदि के लिए किया जाएगा।
- जीपीडीपी तैयार करना और अनुमोदित योजना को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रकाशित/अपलोड करना।

1.3 पीपीसी के विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

1.3.1 पीपीसी एक व्यापक, समावेशी और सहभागितापूर्ण पीडीपी तैयार करने के लिए एक संयुक्त प्रयास है, जिसे पंचायती राज मंत्रालय, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य पंचायती राज विभागों के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में संबंधित विभागों के अधिकारियों, फेसिलिटेटर और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा सुगम बनाया जाता है। विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं:

1.3.2 पंचायती राज मंत्रालय: केंद्रीय नोडल मंत्रालय के रूप में, पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा:

- जन योजना अभियान के लिए दिशा-निर्देशों/मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की तैयारी/अद्यतन करना तथा पीडीपी तैयार करना।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपने-अपने विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों के साथ संवाद और संपर्क करना, ताकि पीडीपी तैयार करने की प्रक्रिया में क्षेत्रीय कर्मचारियों की प्रभावी भागीदारी को सुगम बनाया जा सके और उनकी योजनाओं के तहत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और अन्य लाभों जैसी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।
- जीपीडीपी, बीपीडीपी और डीपीडीपी की तैयारी के लिए पोर्टल के साथ-साथ पीपीसी डैशबोर्ड की तैयारी और शुभारंभ।
- पंचायतों की बैठकों में प्रभावी चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने तथा साक्ष्य आधारित गुणवत्तापूर्ण पीडीपी तैयार करने के लिए डैशबोर्ड और पोर्टल पर उपलब्ध प्रासंगिक जानकारी को पहले से दर्ज करना ।

1.3.3 राज्य पंचायती राज विभाग: पीपीसी का समन्वय राज्य स्तर पर पंचायती राज विभाग (डीओपीआर) द्वारा किया जाएगा। डीओपीआर निम्नलिखित गतिविधियों के समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा:

- पंचायती राज के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति का गठन / संचालन और प्रमुख लाइन विभागों के प्रमुख सदस्य के रूप में निम्नलिखित मुख्य भूमिकाएं निभाएंगे:
  - सभी स्तरों पर अंतर-विभागीय अभिसरण और समन्वय सुनिश्चित करना।
  - योजनाओं और संसाधनों के अभिसरण पर निर्देश जारी करना।
  - समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण पीडीपी की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए अभियान की निगरानी
  - और संचालन करना।
  - क्षेत्र से आने वाली चुनौतियों का प्रतिउत्तर देना और मध्य- पाठ्यक्रम सुधार, समस्या निवारण आदि के लिए आवश्यकतानुसार निर्णय लेना ।
- राज्य स्तर पर अभियान संबंधी दिशा-निर्देशों / एसओपी का निर्माण / अनुकूलन/संशोधन
- संसाधन एवं निधि प्रवाह के लिए सहायता प्रणालियों की स्थापना, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर समन्वय व्यवस्था, कार्मिक प्रबंधन, प्रौद्योगिकी सहायता आदि।
- राज्य/जिला स्तर के मास्टर प्रशिक्षकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायतों के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना और प्रशिक्षण आयोजित करना।
- प्रभावी पीपीसी और गुणवत्तापूर्ण पीडीपी तैयार करने के लिए जागरूकता सृजन और वातावरण निर्माण हेतु राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- अभियान की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर नजर रखना |

1.3.4 नोडल अधिकारी: नोडल अधिकारियों की नियुक्ति तीन अलग-अलग स्तरों पर की जाएगी; राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) पंचायती राज विभाग (डीओपीआर) द्वारा जिला स्तरीय नोडल अधिकारी प्रत्येक जिले में और ब्लॉक स्तरीय नोडल अधिकारी प्रत्येक ब्लॉक में. प्रत्येक स्तर पर नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे:

- संपूर्ण योजना प्रक्रिया का समन्वय और निगरानी।
- संबंधित स्तरों पर अभिसरण और अंतर-विभागीय समन्वय।
- योजना टीमों/सुविधाकर्ताओं को आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन।
- संपूर्ण अभियान चक्र की रिपोर्टिंग और निगरानी।

1.3.5 सुविधा प्रदाता / फेसिलिटेटर: प्रत्येक ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत/जिला पंचायत के लिए एक सुविधाकर्ता नियुक्त किया जाएगा। सुविधाकर्ता समावेशी और अभिसारी पीडीपी की तैयारी की प्रक्रिया में पंचायतों, समुदायों और लाइन विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ काम करेगा। राज्य / संघ शासित प्रदेश सुविधाकर्ता के रूप में नामांकन के लिए क्लस्टर रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) या एसएचजी फेडरेशन के प्रतिनिधियों, सामाजिक लेखा परीक्षकों, अधिकारियों आदि पर विचार कर सकते हैं। पीडीपी की तैयारी के एक हिस्से के रूप में, सुविधाकर्ताओं को निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरू करना आवश्यक होगा:

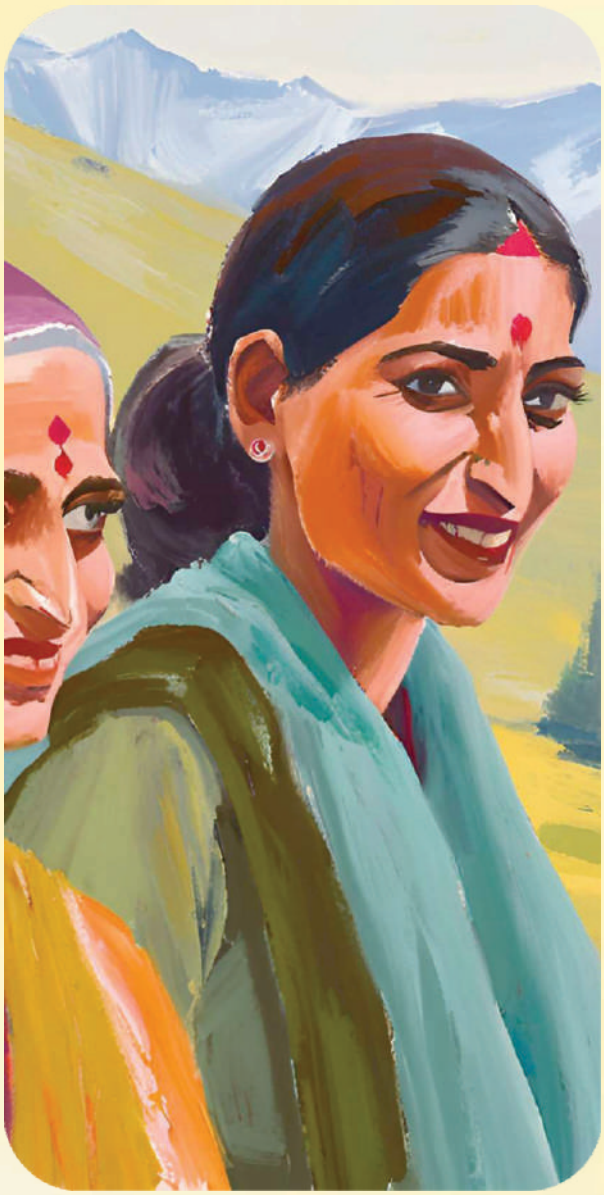

- भाग लेने वाले विभागों के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के साथ समन्वय करना।
- निर्धारित दिन पर जीपीडीपी के लिए विशेष ग्राम सभा की सुविधा प्रदान करना।
- ग्राम सभा के दौरान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/महिला/अल्पसंख्यक/ विकलांग जैसे कमजोर वर्गों सहित सामुदायिक लामबंदी सुनिश्चित करना ।
- ग्राम सभा में स्वयं सहायता समूह, युवा समूह, महिला मंडल आदि की उपस्थिति सुनिश्चित करना
- ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत/जिला पंचायत में ग्राम सभा के आयोजन के संबंध में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना (सुविधाकर्ता रिपोर्ट का एक टेम्पलेट अनुबंध-I के रूप में दिया गया है)
- पीडीपी की तैयारी में पंचायतों को सहयोग देना।
- ग्राम समृद्धि लोचदार योजना (वीपीआरपी) को जीपीडीपी में एकीकृत करने में सहायता करना ।
- ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अनुमोदित जीपीडीपी को अपलोड करने में सहायता करना।

1.3.6 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता: संबंधित विभागों द्वारा नियुक्त फ्रंटलाइन कार्यकर्ता पीडीपी में विभिन्न योजनाओं की गतिविधियों के अभिसरण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 8 मंत्रालयों/विभागों के सचिवों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त एडवाइजरी (अनुबंध-II) जारी की गयी थी, ताकि जीपीडीपी की तैयारी के लिए पीपीसी के दौरान आयोजित दोनों ग्राम सभाओं में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं/अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और उनकी योजनाओं, संसाधनों आदि की विशेषताओं का प्रचार-प्रसार किया जा सके और उनके विभागीय ग्राम कार्य योजना की गतिविधियों को जीपीडीपी में शामिल करने में सुविधा हो । पीपीसी के दौरान फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

- ग्राम सभा में अपने विभाग की योजनाओं, गतिविधियों, संसाधनों, लाभार्थियों का विवरण प्रस्तुत करना।
- प्रस्तावित गतिविधियों की स्थिति और पिछले/वर्तमान वित्तीय वर्ष में वितरित धनराशि की जानकारी प्रदान करना।
- आगामी वर्ष के लाभार्थियों और संसाधनों के विवरण के साथ प्रस्तावित गतिविधियों/कार्यों का विवरण जिसे जीपीडीपी में शामिल किया जाना है।

1.4 जन योजना अभियान (पीपीसी) की समय सीमा

1.4.1 केंद्रीय स्तर: पंचायती राज मंत्रालय समय-सीमा के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरू करेगा:

क्र. स.	गतिविधियाँ	समयसीमा
1.	पीपीसी की प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ सितंबर, राज्य क्षेत्रों को पत्र, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: • नोडल अधिकारियों (राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर) की नियुक्ति हेतु अनुरोध । • प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सुविधादाताओं की नियुक्ति का अनुरोध। • कैस्केड मोड में सुविधा प्रदाताओं सहित हितधारकों के प्रशिक्षण का अनुरोध। • ग्राम सभा की बैठकों के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने का अनुरोध। • पीपीसी डैशबोर्ड पर ग्राम सभावार कैलेंडर अपलोड करना। • प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक सूचना बोर्ड प्रदर्शित करने का अनुरोध।	**सितंबर, 2024 का पहला सप्ताह**
2.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपने समकक्षों को उनकी प्रभावी भागीदारी । सितंबर, और अभिसरण के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों को पत्र	**सितंबर, 2024 का पहला सप्ताह**
3.	जीपीडीपी पोर्टल आदि सभी निगरानी प्लेटफार्मों को सक्रिय करना।	**12 सितंबर, 2024**

1.4.2 राज्य/जिला/ब्लॉक / ग्राम पंचायत स्तर: पीपीसी का समन्वय राज्य स्तर पर पंचायती राज विभाग (डीओपीआर) द्वारा किया जाएगा। डीओपीआर को समय-सीमा के अनुसार जीपीडीपी तैयार करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिला/ब्लॉक /ग्राम पंचायत की मदद से निम्नलिखित गतिविधियाँ करनी होंगी:

क्र. स.	**गतिविधियाँ**	**समयसीमा**
1.	पंचायती राज विभाग विशेष ग्राम सभा के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी साझा करने के लिए संबंधित विभागों को पत्र लिखेगा	**सितंबर 2024 का दूसरा सप्ताह**
2.	पीपीसी: 2024-25 के निगरानी प्लेटफॉर्म / पोर्टल को एक्टिव करना	**16 सितंबर, 2024**
3.	नोडल अधिकारियों की नियुक्ति (राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर)	**16 सितंबर, 2024**
4.	प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सुविधादाताओं की नियुक्ति	**16 सितंबर, 2024**
5.	परिचयात्मक कार्यशाला/ नोडल अधिकारियों और सुविधादाताओं का अभिमुखीकरण और प्रशिक्षण	**23 सितंबर, 2024**
6.	ग्राम सभा बैठकों की अनुसूची को अंतिम रूप देना	**25 सितंबर, 2024**
7.	पीपीसी पोर्टल पर ग्राम सभावार कैलेंडर अपलोड करना	**27 सितंबर, 2024**
8.	प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक सूचना बोर्ड का प्रदर्शन	**28 सितंबर, 2024**
9.	विशेष ग्राम सभा में ग्राम पंचायतों द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विषयगत जीपीडीपी तैयार करने पर चर्चा	**2 अक्टूबर, 2024**
10.	ग्राम सभा की बैठकों के जियो टैग किए गए दृश्यों को अपलोड करना	**प्रथम ग्राम सभा के लिए अक्टूबर, 2024 का पहला सप्ताह और द्वितीय जीएस के लिए जनवरी,2025 का दूसरा सप्ताह**
11.	केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं के संबंध में 5 अक्टूबर से 5 दिसंबर, | डेटा / सूचना साझा करने के लिए संबंधित विभागों की ब्लॉक स्तरीय कार्यशालाएं	**5 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2024 तक**
12.	ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) 2025-26 अपलोड करना	**31 जनवरी, 2025 तक**

टिप्पणी:

- जीपीडीपी कैलेंडर की तैयारी में संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद् 29 विषयों से संबंधित विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति अनिवार्य है।
- यह महत्वपूर्ण है कि अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को ग्राम सभा में भाग लेना चाहिए यह सलाह दी जाती है कि एक दिन में दो से अधिक ग्राम सभा बैठकें आयोजित नहीं की जा सकती ।
- राज्य एक ही तिथि को ब्लॉक में एक से अधिक ग्राम सभा बैठकें आयोजित कर सकते हैं, बशर्ते सभी ग्राम सभा बैठकों में संबंधित विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति हो।
- इसके बाद, अंतिम जीपीडीपी को ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड करने से पहले, उसके अनुमोदन के लिए अभियान अवधि के भीतर ग्राम सभा की एक और बैठक भी निर्धारित करने की आवश्यकता हो सकती है।
- पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के मामले में, विशेष ग्राम सभा का आयोजन संबंधित राज्यों के पेसा अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

1.4.3 जीपीडीपी की तैयारी के लिए ग्राम पंचायत स्तर की गतिविधियाँ

- ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन ।
- बच्चों और महिलाओं की आवश्यकताओं की गणना और अभिव्यक्ति को सुगम बनाने के लिए ग्राम सभा की बैठकों से पहले 'बाल सभा' और 'महिला सभा' की बैठकें आयोजित करना।
- ग्राम सभा की बैठक आयोजित करना। ग्राम सभा अनुसूची/कैलेंडर के अनुसार पंचायत निर्णय एप्लीकेशन का उपयोग करके उसका समय निर्धारण |
- विशेष ग्राम सभा में भाग लेने के लिए विभागों के अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को निमंत्रण देना।
- ग्राम सभा की बैठक में ग्राम सभा सदस्यों की अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- सदस्यों को अपनी मांग रखने का समान अवसर प्रदान करना ।

जन योजना अभियान का संक्षिप्त विवरणः गतिविधियाँ

- राज्य में प्रत्येक स्तर पर जांच, सुविधा और सत्यापन टीमों की नियुक्ति
- ग्राम सभाओं के आयोजन के लिए ग्राम सभावार कैलेंडर को अंतिम रूप दिया जाना
- निर्धारित दिनों पर ग्राम सभा बैठकों में संरचित प्रस्तुति के लिए अन्य संबंधित विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना।
- जीपीडीपी को अंतिम रूप देने के लिए दो विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन करना।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक सूचना बोर्ड प्रदर्शित करना तथा पीपीसी अभियान पोर्टल पर जियो-टैग्ड फोटो अपलोड करना।
- ग्राम सभा की बैठकों की जियो-टैग्ड तस्वीरें अपलोड करना।
- ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के प्रोफाइलर अनुभाग का अद्यतनीकरण।
- प्रोफाइलर अनुभाग का अनिवार्य सत्यापन ब्लॉक स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों का सर्वेक्षण बीडीओ या इस प्रयोजन के लिए बीडीओ द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- विषयगत जीपीडीपी तैयार करना और अनुमोदित योजना को ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर प्रकाशित/अपलोड करना।

1.5 अभियान गतिविधियों की प्रगति की रिपोर्टिंग और निगरानी

1.5.1 मंत्रालय ने अभियान की प्रगति की निगरानी के लिएएक पोर्टल/डैशबोर्ड (www.gpdp.nic.in) तैयार किया है। आकलन करने के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र / जिला / ब्लॉक / ग्राम पंचायतों को अभियान से पहले, उसके दौरान और बाद की गतिविधियों की अद्यतन जानकारी पोर्टल पर विभिन्न रिपोर्टिंग प्रारूपों में उपलब्ध करानी होगी। विभिन्न स्तरों पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए:

- अभियान के लिए राज्य / संघ शासित प्रदेश नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। राज्य स्तर पर संबंधित नोडल अधिकारियों द्वारा पोर्टल को संचालित करने के लिए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड केंद्रीय स्तर पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाएगा।
- जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत सुविधाकर्ता स्तर के लिए, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड उनके अगले उच्च-स्तरीय नोडल अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाएगा।
- संबंधित विभागों के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं की नियुक्ति और उनके नाम अपलोड करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जिन्हें निर्धारित दिनों पर ग्राम सभा की बैठकों के लिए तैनात किया जाएगा।

अध्याय 2 - ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने की प्रक्रिया

2.1 जीपीडीपी ग्राम पंचायत की विकास योजना है। इसे सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें लोगों की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को उपलब्ध संसाधनों के साथ मिलाया जाना चाहिए। जीपीडीपी तीन आवश्यक कार्य करता है:

- यह एक विजन प्रदान करता है कि लोग अपने गांव को कैसा देखना चाहेंगे
- यह उस विजन को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है, तथा
- उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक कार्य योजना प्रदान करता है।

2.2 जीपीडीपी तैयारी चक्र के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

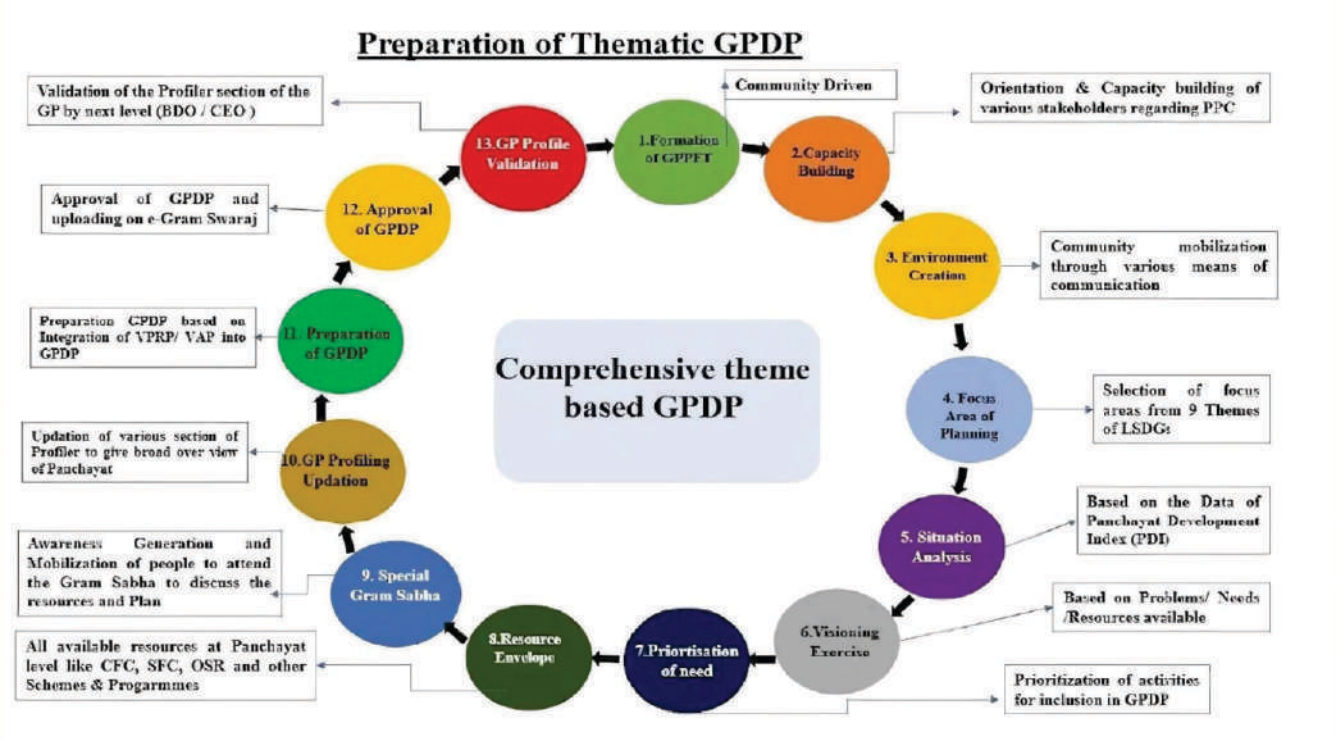

2.3 जीपीडीपी की तैयारी के लिए अपनाए जाने वाले चरण:

2.3.1 ग्राम पंचायत योजना सुविधा टीम (जीपीपीएफटी) का गठन: जीपीडीपी एक महत्वपूर्ण पहल है जिसके लिए निरंतर प्रयास और लोगों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। इसलिए, जीपीपीएफटी को समर्पित मानव संसाधन के एक समूह के साथ बनाया जाना चाहिए जो स्वेच्छा से अपनी सेवाएं दे सकें और योजना तैयार करने के लिए वातावरण सृजन से लेकर ग्राम सभा में योजना की मंजूरी और गतिविधियों के कार्यान्वयन तक जीपीडीपी के हर चरण में शामिल रहें। ग्राम पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय / लाइन विभागों के प्रतिनिधि/अग्रणी कार्यकर्ता अनिवार्य रूप से इस टीम के सदस्य होने चाहिए।

स्वयं सहायता समूह / ग्राम संगठन (एसएचजी/वीओ) सदस्यों को भी जीपीपीएफटी में शामिल किया जा सकता है, ताकि एसएचजी/वीओ की प्रस्तावित गतिविधियों पर सीधे चर्चा की जा सके। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों के नागरिक जो देश में या बाहर कहीं और काम कर रहे हैं/रह रहे हैं, उन्हें भी जीपीपीएफटी का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य जीपी क्षेत्र के सतत विकास के लिए उनके ज्ञान/कौशल और विशेषज्ञता का उपयोग करना है। जीपीडीपी की समुदाय-आधारित नियोजन प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए जीपीपीपीएफटी सदस्यों को "वार्ड प्लानिंग फैसिलिटेटिंग टीम" (डब्ल्यूपीएफटी) में विभाजित कर सकता है, जिसमें कम से कम 3-5 सदस्य होंगे, जिनका नेतृत्व संबंधित जीपी वार्ड के सदस्य करेंगे। डब्ल्यूपीएफटी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि उनके विशेष वार्ड के सभी सदस्य और निवासी नियोजन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से और बिना किसी बाधा और झिझक के भाग लें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राम पंचायत के तहत प्रत्येक विषयगत क्षेत्र को समाहित किया गया है, जीपीपीएफटी सदस्य अपने प्रासंगिक क्षेत्र के अनुभव के आधार पर विषयगत समूह बना सकते हैं।

2.3.2 वातावरण सृजन और सामुदायिक लामबंदी / मोबिलाइजेशन: वातावरण निर्माण गतिविधियाँ समुदाय और शासन प्रणालियों में दृष्टिकोण में परिवर्तन, मानसिकता और पुनः उन्मुखीकरण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं, ताकि सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। जागरूकता-निर्माण प्रक्रिया के बाद, अगला कदम समुदाय को उनकी आवश्यकताओं की पहचान करने और पंचायत विकास योजना तैयार करके उन्हें संबोधित करने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। जागरूकता निर्माण और लामबंदी की पूरी प्रक्रिया वातावरण निर्माण के अंतर्गत आती है।

2.3.3 योजना के फोकस क्षेत्र: ग्राम पंचायतों को भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के तहत उन्हें सौंपे गए कार्यों के अनुसार बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने और विकास कार्य करने का अधिकार है। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं, जिन पर ग्राम पंचायतें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर सकती हैं। हालाँकि, सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के साथ, ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित 9 विषयगत दृष्टिकोणों को अपनाते हुए जीपीडीपी तैयार करना चाहिए:

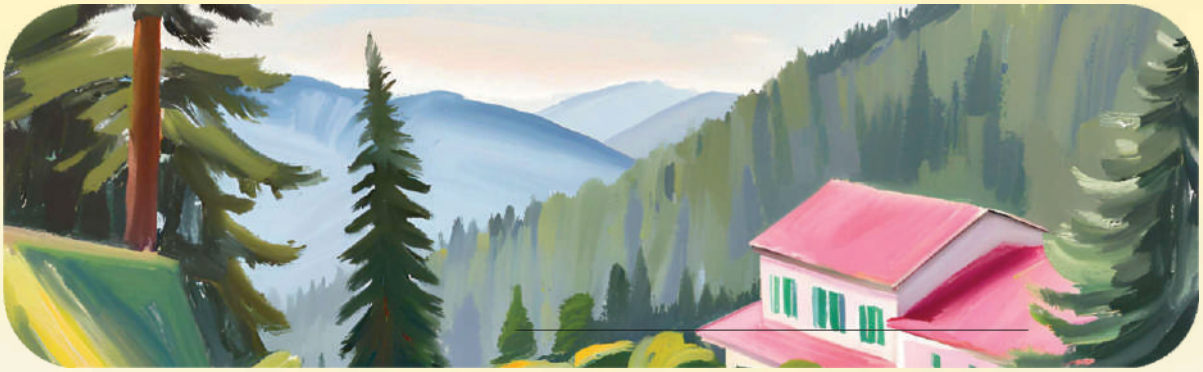

GPDP तैयार करने के लिए बुनियादी आवशक्तयाएँ

- थीमेटिक GPDP को 'संकल्प' पर विशेष ध्यान देकर तैयार किया जाना चाहिए, जिसे GP द्वारा लिया गया है/प्राथमिकता दी गई है।
- ग्राम पंचायत (GP) ग्राम सभा के संकल्प के साथ GPDP 2024-25 की तैयारी के लिए लिए गए संकल्प/थीम को ही GPDP 2024-25 की तैयारी के लिए प्राथमिकता दे सकते हैं।
- GP ग्राम सभा के संकल्प के साथ GPDP 2024-25 की तैयारी के लिए नया संकल्प/थीम भी ले सकते हैं।
- संकल्प/थीम प्राथमिकता को पोर्टल (https://meetingonline.gov.in) पर किया जाना है और ग्राम सभा के संकल्प को भी उसी पोर्टल पर अपलोड करना है।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एमओपीआर टीम द्वारा उन्मुखीकरण और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर फीडबैक अपलोड करना।
- राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर पीपीसी/GPDP टीम पर उन्मुखीकरण और जानकारी को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना।
- ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल का अद्यतन। यह देखा गया है कि प्रोफ़ाइल को सही ढंग से अद्यतन नहीं किया जा रहा है। प्रोफ़ाइल को सावधानीपूर्वक अद्यतन किया जाना चाहिए, जो न केवल मंत्रालय के लिए बल्कि राज्य/जिलों और ब्लॉकों आदि के लिए भी GP का एक डेटा बेस है।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एमओपीआर टीम द्वारा उन्मुखीकरण और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर फीडबैक अपलोड करना।
- राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर पीपीसी/GPDP टीम पर उन्मुखीकरण और जानकारी को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना।
- ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल का अद्यतन। यह देखा गया है कि प्रोफ़ाइल को सही ढंग से अद्यतन नहीं किया जा रहा है। प्रोफ़ाइल को सावधानीपूर्वक अद्यतन किया जाना चाहिए, जो न केवल मंत्रालय के लिए बल्कि राज्य/जिलों और ब्लॉकों आदि के लिए भी GP का एक डेटा बेस है।
- GP में अन्य विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी प्रमुख योजनाओं को GPDP का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
- वीपीआरपी को GPDP में एकीकृत करना। विभिन्न थीम में मैप की गई वीपीआरपी गतिविधियों को पोर्टल में ड्रॉप डाउन में शामिल किया गया है।
- GP को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित संकल्प पर ली गई थीम पर GP के बिना बंधे (एफएफसी/एसएफसी/ओएसआर) संसाधनों का कम से कम 25% आवंटित करना चाहिए।
- जिस थीम में GP ने संकल्प लिया है, उस थीम की कम से कम 25% गतिविधियाँ GP द्वारा कार्यान्वित की जानी चाहिए।

विषय 1: गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका वाला गांव

Poverty Free Village

विषय 2: स्वस्थ गांव

Healthy Village

विषय 3: बाल-हितैषी गांव

Child Friendly Village

विषय 4: जल पर्याप्त गांव

Water sufficient Village

विषय 5: स्वच्छ और हरित गांव

Clean and Green Village

विषय 6: आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव

Village with Self-Sufficient Infrastructure

विषय 7: सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से संरक्षित गांव

Socially Secured Village

सशक्त पंचायत सतत् विकास

विषय 8: सुशासन वाला गांव

Village with Good Governance

विषय 9: महिला हितैषी गांव

Women Friendly Village

2.3.4 स्थिति विश्लेषण: समेकित एवं विषयगत पीडीआई स्कोर का उपयोग प्रगति का आकलन करने और ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी के लिए अंतराल की पहचान करने के लिए विकास स्थिति रिपोर्ट (डीएसआर) के रूप में किया जाएगा।

2.3.5 विज़निंग संबंधी कार्य: ग्राम सभा को डीएसआर के निष्कर्षों के आधार पर विज़निंग अभ्यास करना होगा। विज़निंग कार्य का उद्देश्य नियोजन में निष्पक्षता सुनिश्चित करना, प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करना और ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किए जाने वाले स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना है। विज़निंग अभ्यास में महिला सभा और वार्ड सभा के इनपुट पर भी विचार किया जा सकता है।

2.3.6 आवश्यकताओं की प्राथमिकता: डीएसआर के आधार पर, जीपीपीएफटी को पहली ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों में आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिए विचार-विमर्श का मार्गदर्शन करना है । प्राथमिकता वाले विषय को जीपीडीपी की तैयारी के लिए 'संकल्प' के रूप में लिया जा सकता है।

2.3.7 रिसोर्स एनवेलप: ग्राम पंचायत (जीपी) को जीपीडीपी तैयार करने के लिए अपने संसाधनों का अनुमान लगाना होगा। रिसोर्स एन्वेलप में केंद्रीय/राज्य वित्त आयोग अनुदान, केंद्रीय/राज्य सरकार की योजनाओं के तहत निधियाँ, ओएसआर आदि शामिल हैं। जिला पंचायत / स्वायत्त विकास परिषदों (एडीसी) और ग्राम पंचायत में मध्यवर्ती पंचायत जैसे उच्च स्तरों द्वारा खर्च की गई निधियाँ ग्राम पंचायत / ग्राम परिषदों (वीसी) के संसाधन का हिस्सा होनी चाहिए। नियोजित गतिविधियों को उपलब्ध संसाधनों के साथ मिलान करने की आवश्यकता है।

2.3.8 विशेष ग्राम सभा का आयोजन: चालू वर्ष के जीपीडीपी की प्रगति, पीडीआई के आधार पर विकासात्मक स्थिति, आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं आदि पर चर्चा के लिए एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना चाहिए। नियुक्त किए गए सुविधादाताओं को ग्राम सभा के दौरान कमजोर वर्गों जैसे एससी/एसटी/महिलाओं से प्रतिनिधित्व सहित सामुदायिक लामबंदी सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रत्येक विभाग के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को शुरू की गई गतिविधियों, चालू वर्ष के लिए उपयोग की गई धनराशि और अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित गतिविधियों, आवंटित धन, समाहित किए गए लाभार्थियों आदि पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति देनी होगी और उसका एक विवरण ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करना होगा। ग्राम पंचायत के रिसोर्स एन्वेलप के भीतर बजट की उपलब्धता को देखते हुए एसएचजी द्वारा तैयार की गई ग्राम समृद्धि लचीलापन योजनाओं (वीपीआरपी) पर भी चर्चा की जा सकती है। आम सहमति के आधार पर, वीपीआरपी की मांगों को जीपीडीपी में शामिल किया जा सकता है।

2.3.9 जीपीडीपी का मसौदा तैयार करना: प्रत्येक फोकस क्षेत्र में पहचाने गए कार्यों को लागत अनुमान/ निधि आवंटन, कार्यों के पूरा होने की समयसीमा के साथ दर्शाते हुए मसौदा योजना तैयार की जाएगी। अंतिम जीपीडीपी प्रस्तुत करने से पहले परिवर्तनों पर चर्चा करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए ग्राम पंचायत की एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी।

2.3.10 जीपीडीपी को अंतिम रूप देना: पंचायत अध्यक्ष, सचिव और ग्राम पंचायत सदस्यों सहित सभी संबंधित विभागों और समुदाय के अधिकारियों की उपस्थिति में, परियोजना-वार विवरण के साथ जीपीडीपी दस्तावेज़ को अनुमोदन के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए। ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने का एक मॉडल कार्यक्रम अनुबंध-IV में दिया गया है। ग्राम सभा (जीएस) मीटिंग के मिनट्स / कार्यवृत्त को पंचायत निर्णय ऐप/मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।

प्रक्रिया के दौरान, बैठक के विवरण को उचित रूप से दर्ज किया जाना चाहिए, जिसमें अन्य कार्यवाहियों के अलावा निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं;

1. बैठक में उपस्थित लोगों की संख्या
2. कार्यसूची
3. उठाए गए मुद्दे
4. जिन मदों/गतिविधियों पर चर्चा की गई और सहमति बनी
5. जिन मदों/गतिविधियों पर चर्चा हुई और जिन पर सहमति नहीं बनी, आदि।

2.3.11 ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजना अपलोड करना: ग्राम सभा द्वारा तैयार और स्वीकृत जीपीडीपी को ग्राम पंचायत की पूरी प्रोफ़ाइल के साथ ई-ग्राम स्वराज (ईजीएस) एप्लीकेशन के संशोधित जीपीडीपी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के नियोजन मॉड्यूल के ड्रॉपडाउन मेनू में विषयगत गतिविधियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। वीपीआरपी गतिविधियों को भी प्रासंगिक विषयों के तहत जीपीडीपी गतिविधि ड्रॉपडाउन का हिस्सा बनाया गया है। तदनुसार, वीपीआरपी गतिविधियों सहित विषयगत गतिविधियाँ, जिन्हें ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया है, पोर्टल में दर्ज की जानी हैं। योजना की मुद्रित प्रति (प्रिंटेड कॉपी) सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए ग्राम पंचायत के कार्यालय में रखी जा सकती है। परिसंपत्ति निर्माण गतिविधियों को कार्यान्वयन वर्ष की शुरुआत में सार्वजनिक सूचना बोर्ड (PIB) पर प्रकाशित किया जा सकता है। पीआईबी का एक नमूना अनुबंध-V के रूप में दिया गया है।

अध्याय 3 - ब्लॉक एवं जिला पंचायत विकास योजना तैयार करना

3.1 परिचय:

3.1.1 पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) ने पंचायतों के सभी स्तरों को धन हस्तांतरित करने की सिफारिश की है। पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुदान राशि के व्यय के लिए वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में यह अनिवार्य किया गया है कि ब्लॉक और जिला पंचायतें पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुदान राशि के तहत व्यय दर्ज करने के लिए क्रमशः ब्लॉक पंचायत विकास योजना (BPDP) और जिला पंचायत विकास योजना (DPDP) तैयार करेंगी। जिला और ब्लॉक पंचायतों को पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान की पर्याप्त मात्रा मिल रही है और अन्य मानव और तकनीकी संसाधनों के मामले में वे बेहतर स्थिति में हैं। इसलिए, पंचायतों के ये स्तर परियोजना आधारित, आय सृजन करने वाली, टिकाऊ ब्लॉक और जिला पंचायत विकास योजनाएँ तैयार कर सकते हैं। ब्लॉक और जिला पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी के लिए सांकेतिक परियोजनाओं की एक सूची की पहचान की गई है और उन्हें eGramSwaraj पोर्टल में गतिविधियों की सूची में उपलब्ध कराया गया है।

3.1.2 केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने वाली अधिकांश एजेंसियां ब्लॉक/जिला मुख्यालयों पर स्थित हैं, जहां ब्लॉक / जिला पंचायत भी स्थित है। इसलिए, प्रभावी अभिसरण और सामूहिक कार्यवाही के लिए, ब्लॉक/जिला पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं और व्यापक और अभिसरण विकास योजना तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक योजनाओं, संसाधनों, लाभार्थियों आदि की आवश्यक जानकारी साझा करने में सुविधा प्रदान कर सकती हैं।

पंद्रहवां वित्त आयोग - जीपीडीपी, बीपीडीपी और डीपीडीपी के लिए निहितार्थ

15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पंचायतों के सभी स्तरों और पांचवीं एवं छठी अनुसूची क्षेत्रों के पारंपरिक निकायों के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिनमें से अनुशंसित अनुदान का 40% अबद्ध अनुदान (untied grants) होगा और शेष 60% बद्ध अनुदान (tied grants) के रूप में होगा, 2021-22 को छोड़कर, जिसमें बद्ध और अबद्ध अनुदान का अनुपात 50:50 था।

- अनटाइड फंड्स (untied grants) (कुल अनुदान का 40%) का उपयोग ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर 29 विषयों के अंतर्गत महसूस की गई आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बाहरी एजेंसियों द्वारा खातों की लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक व्यय इस अनुदान से वहन किया जा सकता है।
- टाइड फंड्स (tied grants) (कुल अनुदान का 60%) में से, कुल अनुदान का 30% पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए उपयोग किया जाएगा और शेष 30% अनुदान स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति के रखरखाव के लिए उपयोग किया जाएगा। हालाँकि, यदि किसी स्थानीय निकाय ने एक श्रेणी को पूरी तरह से संतृप्त कर दिया है, तो वह अन्य श्रेणी के लिए निधियों का उपयोग कर सकता है। संबंधित ग्राम सभा / ग्राम सभा को पर्यवेक्षण प्राधिकरण या राज्य सरकारों द्वारा विधिवत पुष्टि करके इसे प्रमाणित करना होगा।

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्तरों के बीच आवंटन इस प्रकार से है:

- ग्राम पंचायतें: 70%
- ब्लॉक पंचायतें: 15%
- जिला पंचायतें: 15%, राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की सिफारिशों के आधार पर कुल 100% तक।

दो स्तरीय राज्यों में, जीपी / डीपी के लिए बैंड क्रमशः 70%-85% और 15%-30% हैं। पारंपरिक क्षेत्रों/ बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए, आवंटन जनसंख्या: क्षेत्र के लिए 90:10 के मानदंड पर होगा। अंतर-स्तरीय वितरण जनसंख्याः क्षेत्र के आधार पर 90:10 या एसएफसी की स्वीकृत सिफारिश के अनुसार होना चाहिए।

3.2 ब्लॉक पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) की तैयारी:

3.2.1 बीपीडीपी को एक सहभागी समावेशी और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें नीचे से ऊपर तक का दृष्टिकोण हो । बीपीडीपी पंचायत विकास सूचकांक के माध्यम से जीपीडीपी में निर्धारित अंतराल को समेकित करके विकास की जरूरतों को पूरा कर सकता है। बीपीडीपी प्रक्रिया में आवश्यकता आधारित नियोजन की परिकल्पना की गई है, जो जीपीडीपी को पूरक बनाती है और राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में योगदान देने का प्रयास करती है। मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर संचालित लाइन विभागों की योजना गतिविधियों को बीपीडीपी में एकीकृत किया जाना चाहिए, हालांकि इसे लाइन विभागों द्वारा स्वयं लागू किया जा सकता है। बीपीडीपी की प्रक्रिया, संरचना और प्रारूप काफी हद तक जीपीडीपी के लिए अपनाए गए समान है, जो इस प्रकार है:

- जीपीडीपी तैयार होने और जीपी स्तर पर अनुमोदित होने के बाद, उन्हें ग्राम पंचायत द्वारा मध्यवर्ती पंचायत को भेजा जाना है।
- जिन परियोजनाओं और गतिविधियों को एक से अधिक ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित किया जाना है, उन्हें मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर क्रियान्वित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी संस्थागत क्षमता और तकनीकी दक्षता अधिक होती है।
- बीपीडीपी को ब्लॉक सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा जिसमें सभी ब्लॉक / मध्यवर्ती पंचायत सदस्य, ब्लॉक पंचायत क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य, संबंधित ब्लॉक सभी ग्राम पंचायतों के जीपी अध्यक्ष/सरपंच शामिल होंगे। ऐसे सदस्यों की बैठक ब्लॉक स्तर पर बुलाई जाएगी, जिसे ब्लॉक सभा माना जाएगा।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों के अलावा, ब्लॉक स्तरीय विभागीय अधिकारी, स्वयं सहायता समूह महासंघों के नेता, विशेषज्ञ, पेशेवर, डॉक्टर आदि को भी ब्लॉक सभा के सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।
- मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष द्वारा ब्लॉक सभा के सदस्य के रूप में मनोनीत उपरोक्त व्यक्तियों सहित कुल 50-80 व्यक्ति हो सकते हैं।
- ब्लॉक सभा की बैठक की अध्यक्षता मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा ब्लॉक पंचायत अधिकारी/ब्लॉक विकास अधिकारी को ब्लॉक सभा का संयोजक नामित किया जा सकता है।
- वित्तीय मामले को मध्यवर्ती पंचायत में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

3.2.2 ब्लॉक पंचायत विकास योजना तैयार करने के चरण:

- संपूर्ण योजना प्रक्रिया की साझा समझ और सुविधा के लिए प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत के लिए मध्यवर्ती- योजना आयोजन समिति (आईपीपीसी) का गठन, बीपीडीपी की संपूर्ण प्रक्रिया को शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए उनका उन्मुखीकरण और सक्रिय करना।
- वातावरण सृजन और सामुदायिक लामबंदी / मोबिलाइजेशन |
- पीडीआई डेटा के आधार पर स्थिति विश्लेषण, आवश्यकता आकलन और अंतराल की पहचान ।
- पीडीआई डेटा के आधार पर विकास स्थिति रिपोर्ट तैयार करना।
- लक्ष्य निर्धारण के लिए विज़निंग कार्य ।
- संसाधनों का आकलन और पहचान संबंधी गतिविधियाँ - विशेष ब्लॉक सभा ।
- मसौदा योजना: गतिविधियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
- बीपीडीपी का अनुमोदन और ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड करना।
- कार्यान्वयन, निगरानी और प्रभावों का विश्लेषण ।

3.2.3 ब्लॉक पंचायत विकास योजना के लिए संभावित समय-सीमा

नवंबर 2024	**योजना प्रक्रिया की शुरुआत ब्लॉक सभा बैठकों में**
दिसंबर 2024	**क्षेत्रवार डेटा संग्रहण, संकलन और परिस्थितियों का विश्लेषण**
जनवरी 2025	**क्षेत्रवार प्राथमिकता निर्धारण और फंड आवंटन क्षेत्रीय कार्य समूह को**
10 फरवरी 2025	**क्षेत्रवार ड्राफ्ट योजना और बजट की तैयारी और मध्यवर्ती पंचायत योजना समिति/स्थायी समिति की बैठकों में ड्राफ्ट BPDP और बजट का प्रस्तुतीकरण**
15 फरवरी 2025	**ड्राफ्ट योजना और बजट को विशेष ब्लॉक सभा में प्रस्तुत करना**
25 फरवरी 2025	**ड्राफ्ट योजना और बजट को ब्लॉक सभा बैठक में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना**
28 फरवरी 2025	**योजना को eGS पोर्टल पर अपलोड करना**

3.3 जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) की तैयारी

3.3.1 स्थानीय सरकार की तरह, जिला पंचायतें स्थानीय नागरिकों को बुनियादी सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने और गरीब और हाशिए के वर्गों की कमजोरियों को दूर करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। यह केवल उपलब्ध संसाधनों के कुशल उपयोग के माध्यम से आवश्यकता आधारित योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और संबंधित विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के साथ इसके कार्यों की पुनरावृत्ति न हो। ग्रामीण क्षेत्र के लिए डीपीडीपी की तैयारी एक समयबद्ध प्रक्रिया है, यह कैस्केडिंग मोड में तैयार की जाने वाली योजनाओं की श्रृंखला का अनिवार्य हिस्सा है। इसे ग्राम पंचायत द्वारा जीपीडीपी और मध्यवर्ती पंचायत द्वारा बीपीडीपी को उनके संबंधित क्षेत्र में पूरा करने के बाद तैयार किया जाना चाहिए। इसे पूरे जिले के लिए जिला योजना समिति द्वारा तैयार किए जाने वाले जिला पंचायत विकास योजना के प्रारूप के लिए आधार प्रदान करना चाहिए।

3.3.2 जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) तैयार करने की प्रक्रिया

डीपीडीपी की प्रक्रिया, संरचना और प्रारूप मोटे तौर पर वही है जो जीपीडीपी के लिए जीपी स्तर पर और बीपीडीपी के लिए मध्यवर्ती पंचायत (आईपी) स्तर पर अपनाया जाता है, जो निम्नानुसार है:

जिले के क्षेत्र में जीपीडीपी और बीपीडीपी तैयार होने और जीपी और आईपी स्तर पर अनुमोदित होने के बाद, जीपीडीपी और बीपीडीपी को क्रमशः जीपी और आईपी द्वारा जिला पंचायत को भेजा जाना है।

जिन परियोजनाओं और गतिविधियों को एक से अधिक ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित किया जाना है, लेकिन उन्हें बी.पी.डी. पी. में शामिल नहीं किया जा सकता है, तथा जिन परियोजनाओं और गतिविधियों को एक से अधिक ब्लॉकों में क्रियान्वित किया जाना है, लेकिन तकनीकी दक्षता या संसाधनों की कमी के कारण बी.पी.डी.पी. में शामिल नहीं किया जा सकता है, उन्हें जिला पंचायत द्वारा डी.पी.डी.पी. में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

इसके अलावा, जिला पंचायत विकास योजना में वे गतिविधियां शामिल होंगी जिन्हें जिला पंचायत को समन्वय के सिद्धांत का पालन करते हुए क्रियान्वित करना होगा।

जिला पंचायत विकास योजना को जिला सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जिसमें सभी जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, संबंधित जिले के कम से कम पांच ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष/सरपंच शामिल होंगे, तथा इस बैठक को जिला सभा माना जाएगा।

निर्वाचित प्रतिनिधियों के अलावा, संबंधित विभाग के जिला स्तर के अधिकारी, शिक्षाविद, डॉक्टर, गैर सरकारी संगठन, महिला समूहों / एसएचजी महासंघों के प्रतिनिधियों को भी सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।

3.3.3 जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने के चरण

- संपूर्ण योजना प्रक्रिया की साझी समझ और सुविधा के लिए प्रत्येक जिले के लिए जिला पंचायत विकास योजना समिति (डीपीडीपीसी) का गठन करना तथा उन्हें डीपीडीपी की संपूर्ण प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रेरित और सक्रिय करना।
- वातावरण सृजन और सामुदायिक लामबंदी /मोबिलाइजेशन |
- पीडीआई डेटा के आधार पर स्थिति विश्लेषण, आवश्यकता आकलन और अंतराल की पहचान।
- पीडीआई डेटा के आधार पर विकास स्थिति रिपोर्ट तैयार करना।
- लक्ष्य निर्धारण के लिए विज़निंग संबंधी कार्य ।
- संसाधनों का आकलन और पहचान संबंधी गतिविधियाँ - विशेष जिला सभा।
- मसौदा योजना: गतिविधियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
- डीपीडीपी का अनुमोदन और ईग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड करना।
- कार्यान्वयन, निगरानी और प्रभावों का विश्लेषण ।

क्र. स.	**गतिविधियाँ**	**समयसीमा**
1.	जिला सभा बैठकों में योजना प्रक्रिया का प्रारंभ	दिसंबर, 2024 में
2.	पीडीआई पर आधारित क्षेत्र/विषयवार डेटा विश्लेषण	जनवरी, 2025 तक
3.	क्षेत्रवार प्राथमिकता एवं निधि आवंटन	फरवरी, 2025 तक
4.	क्षेत्र/विषयवार प्रारूप योजना एवं बजट तैयार करना तथा उसे जिला पंचायत योजना समिति/स्थायी समिति की बैठकों में प्रस्तुत करना	10 मार्च, 2025
5.	जिला पंचायत की मसौदा योजना एवं बजट को विचारार्थ विशेष जिला सभा प्रस्तुत करना	15 मार्च, 2025
6.	जिला पंचायत की मसौदा योजना एवं बजट को अनुमोदन हेतु जिला सभा की बैठक में प्रस्तुत करना	25 मार्च, 2024
7.	ईजीएस पोर्टल पर योजना अपलोड करना	31 मार्च, 2025

जिला पंचायत स्तर पर योजना के प्रमुख क्षेत्र

जिला पंचायत विकास योजना समिति (DPDPC) का गठन: प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत विकास योजना समिति का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य योजना प्रक्रिया की पूरी समझ और सुविधा प्रदान करना है, ताकि यह समिति ग्रामीण क्षेत्र के लिए डीपीडीपी प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू कर सके।

योजना विकास, प्राथमिकता निर्धारण और परियोजनाओं का रूपरेखा तैयार करना: योजना का विकास करना, प्राथमिकताएँ तय करना और परियोजनाओं की योजना बनाना।

डीपीडीपी की स्वीकृति और eGramSwaraj पोर्टल पर अपलोडिंग: योजना को अनुमोदित करना और इसे eGramSwaraj पोर्टल पर अपलोड करना।

कार्यान्वयन, निगरानी और प्रभाव विश्लेषण: योजना को लागू करना, उसकी निगरानी करना और उसके प्रभाव का विश्लेषण करना।

जिला पंचायत स्तर पर योजना के प्रमुख क्षेत्र

जिला स्तर पर बड़े परियोजनाओं को लागू किया जा सकता है। जैसे-जैसे विकेंद्रीकृत योजना ग्राम पंचायत से जिला पंचायत तक जाती है, आर्थिक विकास की गतिविधियाँ प्रमुख हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकांश केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने वाले एजेंसियाँ जिला मुख्यालय पर उपलब्ध होती हैं, जहां जिला पंचायत भी स्थित होती है; इसलिए, सामंजस्य और सामूहिक क्रियावली, विशेष रूप से मध्य और छोटे पैमाने की उद्योगों के लिए समर्थन प्रमुख भूमिका निभाएगा।

अध्याय 4 - पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा) क्षेत्रों में जीपीडीपी

4.1 पृष्ठभूमि:

पेसा जन-केंद्रित शासन को बढ़ावा देता है और ग्राम सभा को एक केंद्रीय भूमिका प्रदान करता है। पेसा गांव/टोले की ग्राम सभा को अपने लोगों की परंपराओं, सामुदायिक संसाधनों और विवाद समाधान के पारंपरिक तरीके की रक्षा और संरक्षण के लिए 'सक्षम' माना जाता है। ग्राम सभा के पास निम्नलिखित अधिकार भी हैं:

1. अनिवार्य कार्यकारी कार्य जैसे ग्राम पंचायतों की योजनाओं को मंजूरी देना, योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान करना, धन के उपयोग के प्रमाण पत्र जारी करना;
2. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनरूद्धार के मामलों में अनिवार्य परामर्श का अधिकार, तथा लघु खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे प्राप्त करने का अधिकार;
3. भूमि के हस्तान्तरण को रोकने और हस्तान्तरित भूमि को बहाल करने की शक्ति;
4. शराब की बिक्री/खपत को विनियमित और प्रतिबंधित करने की शक्ति;
5. गांव के बाजारों का प्रबंधन करने, अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण करने की शक्ति;
6. लघु वन उपज का स्वामित्व;
7. सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और पदाधिकारियों को नियंत्रित करने की शक्ति;
8. स्थानीय योजनाओं और ऐसी योजनाओं के लिए संसाधनों को नियंत्रित करने की शक्ति, जिसमें टीएसपी आदि शामिल हैं।

4.2 पीईएसए जीपीडीपी :

एकीकृत जीपीडीपी-पेसा पोर्टल जीपीडीपी से जुड़ी ग्राम-स्तरीय योजना को सक्षम बनाता है। पेसा गांव के पंद्रहवें वित्त आयोग (अनटाइड और टाइड फंड्स दोनों) के रिसोर्स एन्वेलप को भी पोर्टल पर प्रदर्शित/अपलोड किया गया है। एकीकृत जीपीडीपी-पेसा पोर्टल में एलएसडीजी के सभी 9 विषय के साथ- साथ पेसा के 7 अतिरिक्त विषय भी हैं। पेसा जीपीडीपी आदिवासी समुदायों को विकास यात्रा पर अधिक नियंत्रण देकर, उन्हें निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाकर और यह सुनिश्चित करके उन्हें सशक्त बनाएगा कि उनके द्वारा पहचानी गई विकास प्राथमिकताएँ सटीक रूप से परिलक्षित हों । सात पेसा विषय निम्नवत हैं:

- पेसा ग्राम सभा को मजबूत बनाना
- लघु वनोपज
- लघु खनिज
- भूमि के हस्तान्तरण की रोकथाम
- मादक पदार्थों की बिक्री और उपभोग पर प्रतिबन्ध का प्रवर्तन
- विवाद समाधान का प्रथागत तरीका
- धन उधारी/महाजनी प्रथा पर नियंत्रण

पेसा प्रोफाइलर में फार्म / प्रपत्र में प्रविष्टि

पेसा प्रोफाइलर में शामिल सभी इनपुट फॉर्म / प्रपत्र ऊपर बताए गए मेनू से एक्सेस किए जा सकते हैं।

- पेसा प्रोफाइलर फॉर्म जोड़ने और संशोधित करने की प्रक्रिया: प्रविष्टि के लिए प्रत्येक इनपुट फॉर्म को मेनू से फॉर्म नाम पर क्लिक करके एक्सेस किया जा सकता है और उस फॉर्म के लिए निम्नलिखित "एड एंड मैनेज" स्क्रीन दिखाई देगी:

विवरण जोड़ने के लिए, उपयोगकर्ताओं को फॉर्म नाम वाले हरे रंग के हाइलाइट किए गए बटन पर क्लिक करना होगा

एक बार जब फॉर्म का विवरण दर्ज कर दिया जाता है तो वह प्रबंधन अनुभाग में दृश्य / संशोधित करने के लिए प्रदर्शित होगा।

पेसा प्रोफाइलर में ग्राम पंचायत स्तर (गांव-वार) पर की जाने वाली प्रविष्टियों को उच्च श्रेणी के उपयोगकर्ता "ब्लॉक एडमिन" द्वारा मॉडरेट किया जाएगा:

अनुमोदन के लिए फॉर्म भेजने की प्रक्रिया: उपयोगकर्ता को सेव करने के लिए प्रत्येक पेसा प्रोफाइलर फॉर्म में, फॉर्म स्क्रीन के नीचे निम्नलिखित विकल्प मिलता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है

- सेव ऐज ड्राफ्ट
- सेव एंड फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल

यदि उपयोगकर्ता फॉर्म भरने के तुरंत बाद उसे मॉडरेशन के लिए ब्लॉक स्तर के एडमिन के पास भेजना चाहता है, तो वे ऊपर दिखाए गए अनुसार "सेव एंड फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल" बटन पर क्लिक करना चुन सकते हैं, या वे "सेव ऐज ड्राफ्ट" चुन सकते हैं और बाद में फॉर्म को उच्च पदानुक्रम में भेज सकते हैं।

पेसा प्रोफाइलर में इनपुट फॉर्म की स्वीकृति

- पेसा गांवों के लिए ग्राम पंचायत स्तर के लॉगिन पर दर्ज किए जाने वाले सभी इनपुट फॉर्मों को सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रदर्शित करने से पहले तत्काल उच्च पदानुक्रम (ब्लॉक लेवल लॉगिन) पर सत्यापित करने का प्रावधान किया गया है।
- **पेसा प्रोफाइलर फॉर्म सत्यापित करने की प्रक्रिया :** ब्लॉक स्तर व्यवस्थापक मेनू से किसी भी फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं और उस फॉर्म पर कार्रवाई करने के लिए अप्रूव /रिजेक्ट स्थिति कॉलम का संदर्भ ले सकते हैं।

- अब उपयोगकर्ता जीपी स्तर के उपयोगकर्ता द्वारा भरे गए फॉर्म 'इनपुट को देखने के लिए "एक्शन बटन" पर क्लिक करेंगे और अपने स्तर पर उसे सत्यापित और स्वीकृत भी कर सकेंगे ।

ब्लॉक स्तर का एडमिन किसी पेसा गांव के लिए जीपी स्तर के उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए इनपुट को या तो "अप्रूव" कर सकता है या यदि उसे कोई परिवर्तन की गुंजाइश या छूटी हुई जानकारी मिलती है तो वह "रिटर्न फॉर चेंजेस" करने का विकल्प चुन सकता है।

इसलिए, रेडियो बटन के साथ-साथ उन्हें किए गए परिवर्तनों को उजागर करने के लिए "रिमार्क्स" डालने का भी प्रावधान है और यदि परिवर्तन सूची लंबी है तो वे संक्षिप्त विवरण के लिए अपलोड अटैचमेंट्स चुन सकते हैं और की गई कार्रवाई को सेव करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं।

फॉर्म प्रकाशित करने के लिए, ब्लॉक स्तर के मॉडरेटर को पहले फॉर्म को अनुमोदित/अप्रूव करना होगा और फिर प्रबंधन स्क्रीन से उसे प्रकाशित करना होगा।

नोट: पीईएसए प्रोफाइलर में जीपी स्तर के लॉगिन द्वारा किए गए इनपुट को ब्लॉक स्तर के मॉडरेटर द्वारा फॉर्म प्रकाशित होने के बाद ही सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रदर्शित किया जाएगा और उसके बाद किसी भी स्तर पर कोई और बदलाव की अनुमति नहीं होगी।

अध्याय 5 - पीआरआई और एसएचजी अभिसरण और जीपीडीपी के लिए वीपीआरपी

पृष्ठभूमि:

GPDP (ग्राम पंचायत विकास योजना) का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदाय के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक समेकित योजना तैयार करना है। यह योजना लोगों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को उपलब्ध संसाधनों के साथ तालमेल बिठाते हुए तैयार की जानी चाहिए। स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना एक आवश्यक शर्त है ताकि स्थानीय जरूरतों को समझा जा सके और उन्हें उपलब्ध संसाधनों के साथ प्राथमिकता दी जा सके। एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) और उनकी फेडरेशन, जो गरीबों की संस्थाएं हैं, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए हस्तक्षेप की योजना और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एनआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) ढांचे में सूचीबद्ध एसएचजी नेटवर्क की जिम्मेदारियों में ग्राम सभाओं और GP के अन्य मंचों में सक्रिय रूप से भाग लेना, सामुदायिक आधारित निगरानी के माध्यम से फीडबैक प्रदान करना, और गांव की समृद्धि लचीला योजना (वीपीआरपी) तैयार करके GPDP में इसका एकीकरण करना शामिल है।

पीआरआई और सीबीओ के अभिसरण के लिए कार्य:

GP और एसएचजी के अभिसरण की आवश्यकता को देखते हुए, GP के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं:

- GPDP योजना टीम/GPPFT में एसएचजी फेडरेशन प्रतिनिधियों और सीआरपी को शामिल करना।
- एक समानांतर निकाय बनाना जहां GP और एसएचजी फेडरेशन नियमित रूप से (अधिमानतः एक निश्चित तारीख पर) GPDP कार्यों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एकत्रित हो सकें।
- एसएचजी और उनकी फेडरेशन का उपयोग ग्राम सभा को सूचित भागीदारी के माध्यम से मजबूत करने के लिए करना, जिसमें एसएचजी के भीतर पहले से चर्चाएं शामिल हों।
- एसएचजी और उनकी फेडरेशन को GPDP योजना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन से संबंधित मामलों में।
- उनकी सेवाओं का उपयोग निम्नलिखित गतिविधियों के लिए किया जा सकता है:
  - गांव की समृद्धि लोचदार योजना (वीपीआरपी) की तैयारी
  - ग्राम सभा से पहले महिला सभाओं और वार्ड सभाओं में भाग लेना
  - स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता आदि के लिए स्थानीय अभियान; और शराब और नशीली पदार्थों के दुरुपयोग, हाथ से मैला ढोने, बाल विवाह, बाल श्रम और महिलाओं की तस्करी जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान।

एसएचजी इंटरफेस के लिए एक संस्थागत ढांचा विकसित और संचालित किया जाना चाहिए। यह निश्चित तिथियों पर संयुक्त बैठकों के माध्यम से या तमिलनाडु ग्राम गरीबी उन्मूलन समितियों (वीपीआरसी) या केरल की सीडीएस मूल्यांकन समितियों जैसे समन्वय मंचों को स्थापित करके किया जा सकता है। GPDP प्रक्रिया के हिस्से के रूप में GP के कार्यात्मक समितियों में एसएचजी का प्रतिनिधित्व, GPDP के लिए टास्क फोर्स/वर्किंग ग्रुप में और विभागीय समितियों जैसे ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति (वीएचएसएनसी), स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी), अस्पताल समिति आदि में शामिल किया जा सकता है। इन समितियों की बैठकों और कार्यान्वयन रिपोर्ट को एसएचजी/फेडरेशन के साथ साझा किया जा सकता है।

गांव की समृद्धि लोचदार योजना (वीपीआरपी) और इसका GPDP में एकीकरण

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा 2018 में जारी संयुक्त सलाहकारों के अनुसार, डीएवाई-एनआरएलएम के तहत गांवों में प्रवर्तित एसएचजी नेटवर्क को उनकी मांगों और योजनाओं को गांव की समृद्धि सहनशीलता योजना (वीपीआरपी) के रूप में तैयार करने और इसे ग्राम सभाओं में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ये योजनाएं संबंधित एसएचजी के एसएचजी सदस्यों द्वारा तैयार की जाती हैं और गांव स्तर की एसएचजी फेडरेशन में समेकित होती हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर अंतिम वीपीआरपी को ग्राम सभा बैठकों के दौरान GP में प्रस्तुत और जमा किया जाएगा ताकि इसे GPDP में एकीकृत किया जा सके। वीपीआरपी ग्राम पंचायतों को भारतीय संविधान की अनुसूची XI में निहित गरीबी उन्मूलन और महिलाओं के कल्याण के लिए कार्यक्रमों को लागू करने में उनकी जिम्मेदारी को पूरा करने में भी मदद कर सकता है। योजनाएं पारदर्शी और सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से कमजोर वर्गों की मांगों को भी सुनिश्चित करते हुए तैयार की जाती हैं।

वीपीआरपी का उद्देश्य:

वीपीआरपी निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित है:

- गांव की स्थानीय योजना प्रक्रिया में महिला समूहों को शामिल करना
- GPDP में शामिल करने के लिए एसएचजी की समावेशी मांग योजना तैयार करना
- गरीबी उन्मूलन के लिए ग्राम पंचायत संस्थानों के साथ एसएचजी नेटवर्क के इंटरफेस को बढ़ाना
- गांव के सबसे गरीब लोगों की मांगों का प्रतिनिधित्व वीपीआरपी के माध्यम से करना

वीपीआरपी के घटक:

वीपीआरपी एक व्यापक मांग है जो गरीबी के बहुआयामी कारकों को लक्षित करने का प्रयास करती है। इसलिए, इसे चार घटकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

- **पात्रता योजना:** पात्रता योजना में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों (और गांव के अन्य कमजोर समूहों) की बुनियादी जरूरतों और सामाजिक सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत मांगों को शामिल किया गया है, जिसे वे केंद्र या राज्य सरकारों से केंद्र प्रायोजित और राज्य प्रायोजित योजनाओं के रूप में प्राप्त करने के हकदार हैं, जैसे कि एमजीएनआरईजीएस जॉब कार्ड, पीएमएवाई-जी के तहत घर, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड, उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू गैस कनेक्शन आदि।
- **आजीविका योजना :** आजीविका योजना स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की आजीविका गतिविधियों जैसे कृषि-आधारित, पशुपालन, गैर-कृषि आदि की मांगों को ध्यान में रखती है। एक व्यापक गांव आजीविका नियोजन प्रक्रिया का उपयोग परिवार स्तर पर विस्तृत गतिविधिवार योजना तैयार करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए ग्राम पंचायतों और संबंधित विभागों से सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- **सार्वजनिक वस्तुएं एवं सेवाएं, संसाधन विकास योजना (पीजीएसआरडी):** यह योजना प्रमुख सार्वजनिक वस्तुओं और संस्थानों जैसे स्ट्रीट लाइट, सड़क, पंचायत कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति आदि की उपलब्धता और गुणवत्ता में अंतराल को दर्शाती है। यह गांव में मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करने की आवश्यकता को भी दर्शाती है, जैसे जल संचयन संरचनाएं, भूमि विकास, तटबंधों का निर्माण, वन बाड़ लगाना आदि। इसमें मनरेगा / एमजीएनआरईजीएस की अनुमत गतिविधियों के तहत आजीविका संवर्धन के लिए सामुदायिक परिसंपत्तियों के लिए वीओ द्वारा की गई मांग भी शामिल है।
- **सामाजिक विकास योजना (एसडीपी) :** सामाजिक विकास योजनाएं ऐसे प्रस्ताव हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक बहिष्कार, लैंगिक मुद्दों, पर्यावरण संबंधी समस्याओं आदि से संबंधित समुदाय के विशिष्ट सामाजिक मुद्दों का समाधान करते हैं। सामाजिक विकास योजनाएं जीपीडीपी में 'कम लागत / बिना लागत' मांगों के अंतर्गत आ सकती हैं।

सामाजिक विकास योजना (एसडीपी) - सामाजिक विकास योजनाएं वे प्रस्ताव हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक बहिष्कार, लैंगिक मुद्दों, पर्यावरण संबंधी समस्याओं आदि से संबंधित समुदाय के विशिष्ट सामाजिक मुद्दों को संबोधित करती हैं। ये योजनाएं गांव संगठनों के सदस्यों के बीच गहन चर्चाओं के बाद उभरती हैं ताकि मुद्दों की पहचान की जा सके और उन्हें हल करने के उपायों की पहचान की जा सके। यह स्थानीय स्व-शासन संस्थानों और लाइन विभागों से समर्थन की विशिष्ट आवश्यकता को भी कैप्चर करती है ताकि एसएचजी फेडरेशन को समस्या का समाधान करने में मदद मिल सके। सामाजिक विकास योजनाएं GPDP में 'कम लागत/कोई लागत' मांगों के तहत आ सकती हैं। कुछ मामलों में, उच्च लागत वाले आइटम भी शामिल किए जा सकते हैं, जैसे कि केरल में, GP ने GP स्तर के लिंग संसाधन केंद्र (जीआरसी) चलाने के परिचालन लागत को पूरा करने, जिम और योग क्लब स्थापित करने और चलाने के लिए बुनियादी ढांचे की लागत, समुदाय के सदस्यों के स्वास्थ्य और फिटनेस में सुधार के लिए, बेघर पुनर्वास और महिला कार्य केंद्रों के लिए उच्च बजट राशि दी है। असम में, कुछ GP ने वयस्क साक्षरता कक्षाओं के लिए स्टेशनरी दी है।

1

योजना की तैयारी

गांव की समृद्धि लोचदार योजनाएं (वीपीआरपी) एक भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जाती हैं, जिसमें सभी एसएचजी और उनकी फेडरेशन शामिल होती हैं। चूंकि योजनाएं एक एप्लिकेशन का उपयोग करके तैयार की जाती हैं, इससे वीपीआरपी के सभी चार घटकों पर रिपोर्ट जनरेट की जा सकेगी। सुनिश्चित करने के लिए कि प्रक्रिया सही ढंग से चल रही है और उचित फीडबैक प्राप्त हो, चुने हुए प्रतिनिधियों को विशेष आमंत्रण के रूप में आमंत्रित किया जाएगा।

2

स्तर पर वीपीआरपी का समेकन और अंतिमकरण:

संबंधित GP में मौजूद सभी वीओ (गांव संगठनों) की चारों घटक योजनाओं को GP स्तर पर समेकित और प्राथमिकता दी जाएगी। एप्लिकेशन की सहायता से सभी वीओ मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे। प्राथमिकता में सबसे पहले अतिदीन और सबसे कमजोर वर्ग की मांगों को स्थान दिया जाएगा। इससे वीओ को GP की मदद मिलेगी ताकि सीमित फंड वाले योजनाओं के लिए सही लाभार्थियों का चयन किया जा सके। प्रक्रिया की सही ढंग से निगरानी और फीडबैक प्राप्त करने के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों को विशेष आमंत्रण के रूप में आमंत्रित किया जाएगा।

3

ग्राम सभा में वीपीआरपी की प्रस्तुति और सबमिशन:

तैयार की गई वीपीआरपी को एसएचजी फेडरेशन द्वारा ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। मांगों और विभिन्न योजनाओं जैसे एफएफसी, स्वस्रोत राजस्व, एमजीएनआरईजीएस और लाइन विभागों के फंड्स के बजट की उपलब्धता पर चर्चा शुरू की जा सकती है। सीबीओ (कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गनाइजेशन) यह भी बताएगा कि कौन सी मांगें एसएचजी फेडरेशन के पास उपलब्ध स्वयं के संसाधनों से पूरी की जा सकती हैं। सहमति के आधार पर, ग्राम सभा द्वारा वीपीआरपी की स्वीकृत मांगों को GPDP में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है।

4

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर वीपीआरपी की मांगों की दृश्यता:

अंतिम GPDP को सरकारी आदेश के अनुसार ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसमें स्वीकृत वीपीआरपी की मांगें भी शामिल होंगी। वीपीआरपी की गतिविधियों या मांगों को ईजीएस पोर्टल में एलएसडीजी (स्थानीय सतत विकास लक्ष्य) के प्रासंगिक थीमों के साथ मैप किया गया है। इससे GP को ग्राम सभा की स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत वीपीआरपी मांगों को चुनने की सुविधा मिलती है। इस प्रकार, ईजीएस पोर्टल पर वीपीआरपी मांगों की एक विस्तृत सूची उपलब्ध होगी, जिससे GP ग्राम सभा के दौरान स्वीकृत वीपीआरपी मांगों को चुन सकता है।

सामाजिक विकास योजना (एसडीपी) - सामाजिक विकास योजनाएं वे प्रस्ताव हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक बहिष्कार, लैंगिक मुद्दों, पर्यावरण संबंधी समस्याओं आदि से संबंधित समुदाय के विशिष्ट सामाजिक मुद्दों को संबोधित करती हैं। ये योजनाएं गांव संगठनों के सदस्यों के बीच गहन चर्चाओं के बाद उभरती हैं ताकि मुद्दों की पहचान की जा सके और उन्हें हल करने के उपायों की पहचान की जा सके। यह स्थानीय स्व-शासन संस्थानों और लाइन विभागों से समर्थन की विशिष्ट आवश्यकता को भी कैप्चर करती है ताकि एसएचजी फेडरेशन को समस्या का समाधान करने में मदद मिल सके। सामाजिक विकास योजनाएं GPDP में 'कम लागत/कोई लागत' मांगों के तहत आ सकती हैं। कुछ मामलों में, उच्च लागत वाले आइटम भी शामिल किए जा सकते हैं, जैसे कि केरल में, GP ने GP स्तर के लिंग संसाधन केंद्र (जीआरसी) चलाने के परिचालन लागत को पूरा करने, जिम और योग क्लब स्थापित करने और चलाने के लिए बुनियादी ढांचे की लागत, समुदाय के सदस्यों के स्वास्थ्य और फिटनेस में सुधार के लिए, बेघर पुनर्वास और महिला कार्य केंद्रों के लिए उच्च बजट राशि दी है। असम में, कुछ GP ने वयस्क साक्षरता कक्षाओं के लिए स्टेशनरी दी है।

अध्याय 6 - जीपीडीपी की तैयारी के लिए ग्राम सभा

अभियान अवधि के दौरान दो विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना अपेक्षित है। पहली ग्राम सभा का आयोजन अवलोकन अभ्यास को पूरा करने और पीडीआई के माध्यम से पहचानी गई कमियों के आधार पर आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिए किया जाना चाहिए। फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को सभी संबंधित विभागों की गतिविधियों के बारे में एक संक्षिप्त संरचित प्रस्तुति देने की आवश्यकता है। दूसरी ग्राम सभा में, जीपीडीपी का मसौदा, जिसमें वीपीआरपी और विभागीय ग्राम कार्य योजना जैसी शामिल विभिन्न उप-योजनाओं को अनुमोदन के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा।

ऑनलाइन पोर्टल/पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से ग्राम सभा की बैठक का समय निर्धारण

ग्राम सभा, एक संवैधानिक निकाय है, जो ग्रामीण नागरिकों को शासन और विकास के मुद्दों पर विचार- विमर्श करने, समाधान खोजने के लिए अपनी आम समस्याओं पर चर्चा करने और जमीनी स्तर पर | सहभागितापूर्ण शासन को बढ़ाने के लिए एक व्यवहार्य मंच प्रदान करता है। मंत्रालय ग्राम सभा के महत्व को ध्यान में रखते हुए, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ग्राम सभाओं को सक्रिय करने के लिए सलाह और प्रोत्साहन दे रहा है। इसके अलावा, ग्राम सभा को संस्थागत बनाने और इसे सक्रिय करने के लिए, मंत्रालय ने मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल (https://meetingonline.gov.in) लॉन्च किया है, जिसका उपयोग ग्राम सभा की बैठकों को शेड्यूल करने और प्रस्ताव / कार्यवृत्त आदि अपलोड करने के लिए किया जा रहा है।

ग्राम सभा की बैठकों को आसानी से कैप्चर करने के लिए मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल का एक मोबाइल एप्लिकेशन, पंचायत निर्णय एप्लिकेशन भी तैयार किया गया है। ऐप का उद्देश्य सूचना प्रसार के डिजिटल साधनों का लाभ उठाते हुए ग्राम सभा की बैठकों के व्यवस्थित और प्रभावी संचालन को सुविधाजनक बनाना है।

ऐप में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

(i) बैठक के स्थल का चयन

(ii) बैठक की सूचना जारी करना

(iii) एजेंडा प्रसारित करना

(iv) कार्यवृत्त तैयार करना

(v) बैठक के जियोटैग फोटो और विडियो

(vi) बैठक की उपस्थिति

(vii) बैठक का निर्णय / संकल्प

पंचायत निर्णय ऐप का उपयोगकर्ता मैनुअल / एसओपी अनुबंध VIII में है और ग्राम पंचायत सचिव को उक्त ऐप का उपयोग करने के निर्देश अनुबंध IX में दिये गये हैं। विषयगत नियोजन के उद्देश्य से ऐप के | साथ-साथ पोर्टल को भी ईग्राम स्वराज पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

ग्राम सभा एजेंडा

हालांकि ग्राम सभा किसी भी ग्राम पंचायत से संबंधित मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कुछ एजेंडों पर चर्चा करना आवश्यक है। ये एजेंडे निम्नलिखित हैं:

- ग्राम पंचायत का वार्षिक खातों का विवरण।
- पिछले वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट। पिछली ऑडिट नोट और ग्राम पंचायत द्वारा जवाब, यदि कोई हो।
- अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत का बजट।
- पिछले वर्ष से संबंधित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट।
- वर्तमान वर्ष के दौरान प्रस्तावित विकास कार्यक्रम, 15वीं वित्त आयोग द्वारा दिए गए अनुदान और GP स्तर पर उपलब्ध/अपेक्षित अन्य संसाधनों को ध्यान में रखते हुए।
- सतर्कता समिति की रिपोर्ट।
- वीपीआरपी के माध्यम से गांव संगठन की सिफारिशें।
- वार्ड सभा/महिला सभा और बाल सभा की सिफारिशें।
- ग्राम सभा उन प्रस्तावों पर भी चर्चा कर सकती है जिन्हें वह महत्वपूर्ण मानती है, हालांकि वार्ड सभा ने इसे अपनी एजेंडा में शामिल नहीं किया है।
- योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए धन का उपयोग।

सफल ग्राम सभा के लिए अनुसरण करने वाले कदम

ग्राम सभा में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी सदस्यों को समय पर औपचारिक और अनिवार्य रूप से सूचित किया जाना चाहिए। अधिक समुदाय भागीदारी के लिए सभी उपलब्ध चैनलों, जिसमें सोशल मीडिया शामिल है, के माध्यम से व्यापक प्रसार सुनिश्चित करना चाहिए। ग्राम सभा की योजना के कैलेंडर का एक टेम्पलेट परिशिष्ट-VII में प्रदान किया गया है

औपचारिक अधिसूचना

- ग्राम सभा का आयोजन करने से पहले, राज्य के मौजूदा मानदंडों के अनुसार नोटिस जारी करना महत्वपूर्ण है। व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ग्राम सभा की सूचना को ढोल बजाकर और पंचायत भवन, स्कूल, वीओ और सीएलएफ के कार्यालयों तथा स्थानीय बाजार में नोटिस चिपकाकर भी प्रचारित किया जा सकता है।
- सभी मतदाताओं को निर्धारित तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले ग्राम सभा का नोटिस प्राप्त होना चाहिए।
- नोटिस में ग्राम सभा की तारीख, समय, स्थान और एजेंडा का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।
- ग्राम सभा का एजेंडा स्पष्ट और सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए ताकि लोग इसे आसानी से समझ सकें।

सभी वर्गों से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना

- गांव विकास योजनाओं की तैयारी करते समय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए
- ग्राम सभा में उनकी बेहतर भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए और उन्हें अपनी आवश्यकताओं और शिकायतों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
- उनके बेहतर भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा के आयोजन की जानकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों द्वारा बसाए गए क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रचारित की जानी चाहिए।
- यदि उनकी शिकायतों का समाधान अगले ग्राम सभा बैठक से पहले किया जाता है, तो उनके ग्राम सभा पर विश्वास में वृद्धि होगी और वे ग्राम सभा की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेने में अधिक रुचि दिखाएंगे।

महिला सभा के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी:

पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार, प्रत्येक ग्राम सभा से पहले महिला सभा का आयोजन किया जा सकता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के मुद्दों को ग्राम सभा के प्रस्तावों और उसके बाद जीपीडीपी में शामिल करना है।

वार्ड सभा और महिला सभा से प्राप्त इनपुट का एकीकरण

ग्राम सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी लोगों को शामिल करने के लिए, मुख्य नियमित ग्राम सभा बैठकों से पहले महिलाओं के लिए अलग से ग्राम सभा आयोजित की जा सकती है ताकि उनके मुद्दों को जीपीडीपी में | बेहतर ढंग से शामिल किया जा सके। जीपीडीपी के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी वातावरण सृजन सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित जीपी द्वारा उपयुक्त सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री और गतिविधियाँ शुरू की जानी चाहिए। यह एक सफल जीपीडीपी आईईसी की प्रभावशीलता पर निर्भर करता है, जिससे वार्ड सभा, महिला सभा और ग्राम सभा में सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी हो सके। एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए वार्ड सभा, महिला सभा से प्राप्त इनपुट को उप-ग्राम सभा स्तर की | बैठकों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। महिला सभा पर एक एड्वाइजरी पहले ही जारी की जा चुकी है और यह अनुबंध XI पर उपलब्ध है।

ग्राम सभा के लिए कोरम:

ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम को राज्य के प्रासंगिक पंचायती राज अधिनियमों के अनुसार बनाए रखना आवश्यक है। यदि पहली बैठक कोरम के अभाव में स्थगित हो जाती है, तो बैठक किसी अन्य तिथि तक स्थगित कर दी जाएगी, और प्रक्रिया राज्य पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगी।

अध्याय 7 - सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण और पंचायत विकास योजनाओं में एकीकरण

परिचय

2030 का सतत विकास एजेंडा, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) शामिल हैं, वैश्विक उद्देश्यों का समूह है जो सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के बाद आया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रगति की निगरानी के लिए 17 एसडीजी, 169 वैश्विक लक्ष्य और 231 विशिष्ट वैश्विक संकेतक पहचाने गए हैं। भारत में, 169 स्वीकृत राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए, राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के अनुसार 306 संकेतक पहचाने गए हैं ताकि राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं को उचित दिशा प्रदान की जा सके।

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को स्थानीय स्तर पर लागू करना और उन्हें पंचायत विकास योजनाओं (पीडीपी) में एकीकृत करना आवश्यक है ताकि जमीनी स्तर पर वास्तविक विकास हो सके। इसके लिए पंचायतों को अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुसार योजनाएं बनानी चाहिए और उन्हें एसडीजी के लक्ष्यों के साथ संरेखित करना चाहिए।

सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण क्यों महत्वपूर्ण है?

दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले भारत पर वैश्विक एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) को प्राप्त करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारत के संघीय शासन ढांचे को देखते हुए, राज्य और स्थानीय सरकारें देश की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे लोगों की आकांक्षाओं और जरूरतों को प्राथमिकता देने में सबसे उपयुक्त होती हैं। स्थानीय सरकारें राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, सभी के लिए स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, जल और स्वच्छता की पहुंच, और रोजगार पर जोर देने के साथ एसडीजी अनिवार्य रूप से ग्रामीण विकास के मुद्दों और लक्ष्यों से जुड़े रहते हैं। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए, 2030 एजेंडा के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति गांवों में एसडीजी के स्थानीयकरण पर निर्भर करती है। एसडीजी का स्थानीयकरण इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि न तो कोई व्यक्ति और न ही कोई गांव पीछे छूटे। इस प्रक्रिया से ही समग्र विकास और प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है।

मुख्य बिंदु:

- **एसडीजी का महत्व:** सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों जैसे गरीबी, भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और न्याय को संबोधित करना है।
- **पंचायत विकास योजनाओं में एसडीजी का एकीकरण:** पंचायत विकास योजनाओं में एसडीजी को शामिल करने से योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ती है और विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।
- **स्थानीयकरण की प्रक्रिया:** स्थानीय स्तर पर एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायतों को आवश्यक डेटा संग्रह, स्थिति विश्लेषण, संसाधन पहचान और प्राथमिकता निर्धारण करना चाहिए।
- **सामुदायिक भागीदारी:** एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय की भागीदारी और सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंचायतों को स्थानीय समुदाय को जागरूक और सक्रिय करने की दिशा में काम करना चाहिए।

संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के तहत पंचायतों की जिम्मेदारी

संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों के व्यापक क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने का संवैधानिक दायित्व पंचायतों को दिया गया है। सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने और इन्हें अधिक स्थानीय और बोधगम्य बनाने के लिए, ग्राम पंचायतों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक खाका तैयार किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर 17 सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है, जो स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों (ERs) और समुदाय के लिए इनसे जुड़ना आसान बनाता है। इसके तहत कुल नौ (9) विषय चुने गए है

थीम से सम्बंधित नोडल मंत्रालय

थीम संख्या	थीम	एसडीजी	मानचित्रित नोडल मंत्रालय	प्रमुख मंत्रालय/विभाग
Poverty Free Village	1	गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका गांव	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 और 15	ग्रामीण विकास	कृषि और किसान कल्याण, पशुपालन, मत्स्य पालन, कौशल विकास
Healthy Village	2	स्वस्थ गांव	2 और 3	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	आयुष, महिला और बाल विकास, पेयजल और स्वच्छता
Child Friendly Village	3	बाल-अनुकूल गांव	1, 2, 3, 4 और 5	महिला और बाल विकास	स्कूल शिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पेयजल और स्वच्छता
Water sufficient Village	4	जल पर्याप्त गांव	6 और 15	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प	पेयजल और स्वच्छता, कृषि और किसान कल्याण, भूमि संसाधन
Clean and Green Village	5	स्वच्छ और हरित गांव	6, 7, 12, 13, 14 और 15	पेयजल और स्वच्छता	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और किसान कल्याण
Village with Self-Sufficient Infrastructure	6	आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 11	ग्रामीण विकास/पंचायती राज	ग्रामीण विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार
Socially Secured Village	7	सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सुरक्षित गांव	1, 2, 5, 10 और 16	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	ग्रामीण विकास, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, आदिवासी मामले
Village with Good Governance	8	सुशासन वाला गांव	16	पंचायती राज	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार
Women Friendly Village	9	महिला हितैषी गांव	1, 2, 3, 4, 5 और 8	महिला एवं बाल विकास	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, कौशल विकास

पंचायत विकास योजना (पीडीपी) की तैयारी और सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

पंचायती राज मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थानीय विकास एजेंडा निर्धारित करने और विकास के मुद्दों के स्थानीय समाधान खोजने में सहायता प्रदान कर रहा है। मंत्रालय राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विशिष्ट दिशा-निर्देश विकसित करने के लिए पीडीपी की तैयारी में सभी संसाधनों को एकीकृत करने में सहयोग कर रहा है।

पीडीपी की तैयारी के दिशा-निर्देश

एलएसडीजी के विषयगत ढांचे पर आधारित पीडीपी की तैयारी: पीडीपी को विषयगत लक्ष्यों और लक्ष्यों को इस प्रकार प्रतिबिंबित करना चाहिए कि स्थानीय नियोजन और कार्यों का निष्पादन पंचायत को इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान दे सके और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्य पूरे हो सकें।
आवश्यक सर्वेक्षण डेटा का समावेश: पीडीपी की तैयारी के लिए एमए सर्वेक्षण में संकेतक के मूल्य के लिए आवश्यक सर्वेक्षण डेटा शामिल होना चाहिए। यह डेटा विभागों और ग्राम पंचायतों के अपने डेटा से आना चाहिए।

- **अभिसरण कार्रवाई:** विभिन्न विभागों की योजनाओं से विभिन्न इनपुट संकेतकों/लक्ष्यों के लिए पीडीपी की तैयारी में शामिल होना सुनिश्चित करना चाहिए।
- **स्थायी समितियों की सुदृढ़ता:** पंचायतों की स्थायी समिति को मजबूत किया जाना चाहिए और थीम आधारित पीडीपी तैयार करने के लिए उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में उन्हें सक्षम बनाया जाना चाहिए।
- **स्थायी समितियों का मानचित्रण:** एलएसडीजी के विषयों के साथ स्थायी समिति का मानचित्रण व्यापक पीडीपी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का विवरण देगा।

एसडीजी का प्रभावी स्थानीयकरण

एसडीजी को पीडीपी में एकीकृत करने से दोनों पहलों के बीच स्वाभाविक तालमेल बनता है। एसडीजी के प्रभावी स्थानीयकरण के लिए बजट को स्थानीय योजनाओं से जोड़ने की आवश्यकता होती है। इसके लिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अभिसरण को बढ़ावा देने वाले दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। पंचायतों के लिए बंधे और खुले फंड ने उनके समग्र विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्रदान किए हैं। पीडीपी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का व्यापक विकास संभव है और इस प्रकार एसडीजी के वैश्विक एजेंडा की ओर तेजी से आगे बढ़ना संभव है।

गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित

पीडीपी में चरणबद्ध तरीके से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन में मात्रा से गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। GPDP तैयारी प्रक्रिया पर सुविधाकर्ताओं की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण को विषयगत ढांचे के लिए पूरी तरह से उन्मुख होना चाहिए और उन्हें इस प्रक्रिया में डूब जाना चाहिए।

थीम आधारित योजना अभियान

प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक GPDP चक्र में कम से कम एक थीम उपलब्धि को अपनाना 'लोगों की योजना अभियान' के माध्यम से मिशन मोड पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एसएचजी संघ संबंधित ग्राम पंचायत के एसडीजी थीम के साथ संरेखण में वीपीआरपी तैयार करके GPDP तैयार करने में ग्राम पंचायत का समर्थन कर सकते हैं।

सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण: अभिसरण कार्रवाई का महत्व

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए भागीदारों की पहचान, मौजूदा और संभावित संसाधनों का मानचित्रण, और समेकित पंचायत विकास योजना (पीडीपी) की तैयारी के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की व्यापक समझ विकसित करना आवश्यक है। इसके लिए अभिसरण कार्रवाई एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है।

स्थायी समितियों और संघों के साथ अभिसरण:

- पीडीपी की प्रक्रिया में स्थायी समितियों, उप-समितियों, स्थानीय समितियों, कार्य समूहों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी संघों) के साथ अभिसरण को मजबूत करना आवश्यक है।
- यह समग्र और व्यापक योजना बनाने के लिए जरूरी है, जिससे विकास के लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सके।

मंत्रालयों/विभागों की प्रमुख योजनाओं में पीआरआई की भूमिका

- मौजूदा दिशानिर्देशों में पंचायत राज संस्थाओं (ग्राम पंचायतों पर केंद्रित) की भूमिका को स्पष्ट किया गया है।
- योजना कार्यान्वयन तंत्र के संबंध और पीडीपी में पंचायतों की भागीदारी के बारे में विस्तार से बताया गया है।

जमीनी स्तर पर अभिसरण कार्रवाई:

- जमीनी स्तर पर सभी भागीदारों के साथ अभिसरण कार्रवाई का उद्देश्य समग्र समाज के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देना है।
- इसके तहत सूक्ष्म योजनाओं का विकास और उनकी प्रगति की निगरानी की जानी चाहिए।

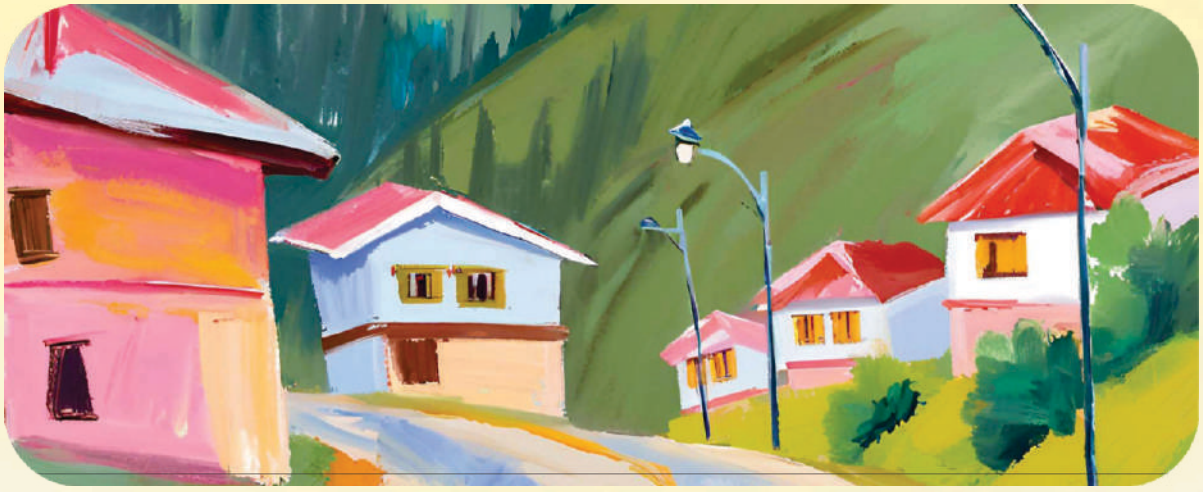

थीम - कार्यक्रम/योजना और गतिविधियाँ

थीम	कार्यक्रम/योजना और गतिविधियाँ	अन्य विकल्प
थीम-1: गरीबी मुक्त गाँव	• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)	• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
	• दीन दयाल अंत्योदय योजना (DAY) • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)	• जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए से टीएसएस)
	• प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण	• प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
	• राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)	• अनुसूचित जातियों और अन्य वंचितों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम
थीम-2: स्वस्थ गाँव	• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	• राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (आयुष्मान भारत)
	• गहन मिशन इंद्रधनुष	• स्वच्छ भारत मिशन (SBM) - ग्रामीण
	• राष्ट्रीय आयुष मिशन	• किशोर स्वास्थ्य पर टॉक शो/कार्यशाला
	• पोषण अभियान	• निवारक उपायों पर दीवार लेखन
थीम-3: बाल-मैत्री पचायत	• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	• 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन
	• समग्र शिक्षा	• सुकन्या समृद्धि योजना
	• मिड-डे-मील योजना	• किशोरियों के लिए योजना (SAG)
	• खेलो इंडिया	• बाल श्रम को रोकने के लिए प्रवासी परिवारों की निगरानी
थीम-4: जल पुर्याप्त गाव	• जल जीवन मिशन	• राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP)
	• राष्ट्रीय गंगा योजना और घाट कार्य	• महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए मिशन
	• बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (FMP)	• नदियों का आपसी जोड़
	• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	• ग्रामीण क्षेत्रों में जल परीक्षण के लिए नमूने एकत्रित करना और प्रयोगशाला में भेजना
थीम-5: स्वच्छ और हरा गाव	• राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (NRCP)	• PM-KUSUM
	• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)	• सोलर पार्कों का विकास
	• राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	• ग्रीन इंडिया मिशन
	• स्वच्छ भारत मिशन	• एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)

थीम	कार्यक्रम/योजना और गतिविधियाँ	अन्य विकल्प
थीम-6: आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गाँव	• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)	• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)
	• प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण	• प्रधानमंत्री डिजिटल ग्राम योजना
	• जल जीवन मिशन	• पीने के पानी के लिए जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास
	• स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	• ग्रामीण सड़कें
थीम-7: सामाजिक रूप से सुरक्षित और समावेशी गाँव	• दीन दयाल अंत्योदय योजना • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	• महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) का गठन
	• प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण	• बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए आर्थिक सहायता और उपकरण
	• आयुष्मान भारत (राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन)	• राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
	• राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)	• दिव्यांगजनों के लिए सुलभ पेंशन योजना
थीम-8: सुशासन और सक्षम गाँव	• ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन	• डेटा संग्रहण और डिजिटलीकरण
	• योजनाओं और कार्यक्रमों की समय पर और सही कार्यान्वयन के लिए जागरूकता अभियान	• भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण और रखरखाव
	• शिकायत निवारण तंत्र का कार्यान्वयन	• ई-ग्राम पंचायत पोर्टल का संचालन
	• ग्राम पंचायतों में ई-शासन का क्रियान्वयन	• सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए बुकलेट का वितरण
थीम-9: महिला मित्रवत गाँव	• महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) का गठन	• महिला कचरा प्रबंधन समूहों का गठन
	• महिला सुरक्षा और सहायता के लिए विशेष प्रयास	• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
	• महिलाओं के लिए कौशल विकास और आजीविका कार्यक्रम	• महिला उद्यमियों के लिए व्यवसायिक सहायता
	• महिला सशक्तिकरण पर टॉक शो/कार्यशाला	• महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन और प्रशिक्षण

Annexure - I

ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:

- समावेशी योजना प्रक्रिया: GPDP तैयार करने की प्रक्रिया में सभी समुदायों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करें, विशेष रूप से महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति, और अन्य वंचित समूहों को शामिल करें। ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी इस प्रक्रिया की कुंजी है।
- डेटा-संचालित योजना: पंचायत क्षेत्र की मौजूदा स्थिति का विस्तृत विश्लेषण करें। जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, रोजगार, और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण करें। योजना बनाते समय इन आंकड़ों का उपयोग करें।
- स्थानीय जरूरतों का आकलन: पंचायत क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं और जरूरतों का पहचान करें। इसके लिए ग्राम स्तर पर सर्वेक्षण, बैठकें और सामाजिक मानचित्रण का आयोजन करें। स्थानीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाएं।
- अभिसरण (Convergence): विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का आपस में अभिसरण सुनिश्चित करें। इस प्रक्रिया में उपलब्ध संसाधनों और वित्तीय सहायता का अधिकतम उपयोग हो सकेगा। उदाहरण के लिए, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत आने वाली गतिविधियों को एकीकृत किया जा सकता है।
- परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण: GPDP का उद्देश्य दीर्घकालिक और सतत विकास होना चाहिए। इसे परिणाम-उन्मुख बनाया जाए, ताकि पंचायत क्षेत्र में लोगों की जीवन स्तर में वास्तविक सुधार हो। विकास के विभिन्न मापदंडों के आधार पर प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: योजना की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, जिसमें सभी निर्णय और कार्यवाही ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएं। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और निर्णय सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाएं।
- क्षमता निर्माण: पंचायत के सदस्यों और अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें ताकि वे GPDP की तैयारी और कार्यान्वयन में सक्षम हो सकें।
- संवेदनशील मुद्दों पर ध्यान: योजना में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों की विशेष जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इनके लिए विशिष्ट योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए।
- इन दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, ग्राम पंचायतें अपनी विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी और समुदाय की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप बना सकती हैं।

Annexure - II सुविधाकर्ता की रिपोर्ट का टेम्पलेट

क्रमांक	क्षेत्र	विवरण	टिप्पणियाँ
1.	ग्राम सभा में उपस्थित लोगों की संख्या		
2.	ग्राम सभा में उपस्थित अनुसूचित जातियों की संख्या		
3.	ग्राम सभा में उपस्थित अनुसूचित जनजातियों की संख्या		
4.	ग्राम सभा में उपस्थित स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों की संख्या		
5.	ग्राम सभा में उपस्थित महिलाओं की संख्या		
6.	ग्राम पंचायत का संकल्प		
6.1	संकल्प के फोकस क्षेत्रों में मानचित्रण		
7.	फ्रंटलाइन कार्यकर्ता उपस्थित रहे और उन्होंने प्रस्तुति दी		
7.1	पंचायती राज विभाग		
7.2	ग्रामीण विकास विभाग		
7.3	कृषि विभाग		
7.4	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
7.5	महिला एवं बाल विकास विभाग		
7.6	बिजली विभाग		
7.7	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग		
7.8	पशुपालन एवं डेयरी विभाग		
7.9	राजस्व विभाग		
7.10	पेयजल विभाग		
7.11	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग		
7.12	शिक्षा विभाग		
7.13	कौशल विकास विभाग		
7.14	सामाजिक न्याय विभाग		
7.15	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग		
7.16	स्वास्थ्य विभाग		

क्रमांक	क्षेत्र	विवरण	टिप्पणियाँ
7.17	वित्त विभाग		
7.18	सिंचाई विभाग		
7.19	मत्स्य विभाग		
7.20	वन विभाग		
7.21	लघु उद्योग विभाग		
7.22	खादी/ग्रामीण उद्योग विभाग		
7.22	खादी/ग्रामीण उद्योग विभाग		
7.23	राज्य बिजली बोर्ड		
7.24	ग्रामीण सड़क विकास निगम		
7.25	राज्य पीडब्ल्यूडी		
8.	मिशन अंत्योदय डेटा की प्रस्तुति और सत्यापन		
9.	गरीबी से संबंधित मुद्दों और गरीबी कम करने की योजनाओं पर स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) द्वारा प्रस्तुति		
10.	ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) पर चर्चा		
10.1	चालू वर्ष की गतिविधियों और उपयोग की गई निधि की समीक्षा		
10.2	2021-2022 के दौरान ग्राम पंचायतों को उपलब्ध संसाधनों पर चर्चा		
10.3	मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण से उभरे अंतराल और प्रस्तावित हस्तक्षेपों पर चर्चा		
10.4	GPDP पर ग्राम सभा द्वारा पारित और दर्ज किया गया प्रस्ताव		
11.	प्रगति		
12.	जन सूचना बोर्ड की जियोटैग की गई तस्वीर		
13.	चल रही ग्राम सभा का वीडियो (वैकल्पिक)		

Annexure - III - सुविधाकर्ता की रिपोर्ट का प्रारूप (जिला/ब्लॉक पंचायत)

क्रमांक	क्षेत्र	विवरण	टिप्पणियाँ (यदि कोई हो)
1.	जिला/ब्लॉक पंचायत बैठक में उपस्थित लोगों की संख्या		
2.	फ्रंटलाइन कार्यकर्ता उपस्थित रहे और उन्होंने प्रस्तुति दी		
2.1	पंचायती राज विभाग		
2.2	ग्रामीण विकास विभाग		
2.3	कृषि विभाग		
2.4	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
2.5	महिला एवं बाल विकास विभाग		
2.6	बिजली विभाग		
2.7	रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग		
2.8	पशुपालन एवं डेयरी विभाग		
2.9	राजस्व विभाग		
2.10	पेयजल विभाग		
2.11	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग		
2.12	शिक्षा विभाग		
2.13	कौशल विकास विभाग		
2.14	सामाजिक न्याय विभाग		
2.15	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग		
2.16	स्वास्थ्य विभाग		
2.17	वित्त विभाग		
2.18	सिंचाई विभाग		
2.19	मत्स्य पालन विभाग		
2.20	वन विभाग		
2.21	लघु उद्योग विभाग		
2.22	खादी विभाग		
2.23	राज्य बिजली बोर्ड		

क्रमांक	क्षेत्र	विवरण	टिप्पणियाँ (यदि कोई हो)
2.24	ग्रामीण सड़क विकास निगम/पीडब्ल्यूडी		
2.25	राज्य पीडब्ल्यूडी		
3.	जिला/ब्लॉक पंचायत विकास योजना पर चर्चा		
3.1	चालू वर्ष की गतिविधियों और उपयोग की गई निधि की समीक्षा		
3.2	2021-2022 के दौरान जिला/ब्लॉक पंचायतों को उपलब्ध संभावित संसाधनों पर प्रस्तुति और चर्चा		
3.3	मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण और प्रस्तावित हस्तक्षेपों से उभरे अंतराल पर चर्चा		
3.4	जिला/ब्लॉक सभा बैठक में पारित और दर्ज किए गए प्रस्ताव		
4.	प्रगति पर जिला/ब्लॉक सभा की जियोटैग की गई तस्वीर		

Annexure - IV - ग्राम पंचायत योजना सुविधा टीम (GPPFT)

पद	सदस्यता
प्रधान	अध्यक्ष
ग्राम पंचायत के निर्वाचित वार्ड सदस्य	सदस्य
ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान एवं उपप्रधान	सदस्य
ग्राम पंचायत में कार्यरत विभिन्न विभागों के कर्मचारी (शिक्षा, ग्रामीण विकास, आईसीडीएस, स्वास्थ्य, जल शक्ति विभाग, पीडब्ल्यूडी, पशुपालन, कृषि, बागवानी, वन, डाक)	सदस्य
ग्राम पंचायत के सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी	सदस्य
शैक्षिक विशेषज्ञ एवं शिक्षक	सदस्य
आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सदस्य
स्वच्छ भारत मिशन के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता	सदस्य
ग्राम रोजगार सहायक	सदस्य
ग्राम संगठनों के अध्यक्ष	सदस्य
युवा मंडल के अध्यक्ष	सदस्य
महिला मंडल के अध्यक्ष	सदस्य
ग्राम पंचायत में कार्यरत एनजीओ के प्रतिनिधि	सदस्य
सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी)	सुविधा प्रदाता
सीएसआर प्रतिनिधि	सदस्य
ग्राम पंचायत सचिव	सदस्य सचिव

GPPFT की भूमिका और जिम्मेदारियां:

ग्राम पंचायत योजना सुविधा टीम (GPPFT) का मुख्य कार्य योजना प्रक्रिया के सभी चरणों का संचालन और समन्वय करना है, जिसमें पर्यावरण निर्माण से लेकर योजना अनुमोदन, क्रियान्वयन, और निगरानी शामिल हैं। GPPFT का उद्देश्य ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की समय पर और प्रभावी तैयारी सुनिश्चित करना है। इसके तहत:

- विषयगत टीमों और ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- GPDP के प्रत्येक चरण की समयबद्ध तैयारी सुनिश्चित करना।

Annexure - V - ग्राम पंचायतों की विषयगत स्थायी समितियाँ

आजीविका समिति (थीम 1: गरीबी मुक्त एवं आजीविका संवर्धन गाँव)

क्रमांक	पद का नाम	सदस्यता	उत्तरदायित्व
1	**ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष**	अध्यक्ष	• विषय से संबंधित प्राथमिक एवं द्वितीयक डेटा का संग्रह • विषय से संबंधित मिशन अंत्योदय डेटा की गैप पहचान एवं धन रैंकिंग (पीआरए अभ्यास) • विषय से संबंधित पंचायत विकास सूचकांक कार्य • वीपीआरपी योजना का अध्ययन • संसाधन पहचान (वित्तीय संसाधन आवंटन) • विषयगत स्थिति का विश्लेषण एवं गरीबी मुक्त एवं आजीविका संवर्धन ग्राम के लिए विषयगत मसौदा योजना की तैयारी
2	**एक वार्ड सदस्य (एससी/एसटी)**	सदस्य	
3	**ग्राम संगठनों (वीओ) के दो पदाधिकारी (एक एससी/एसटी)**	सदस्य	
4	**पटवारी**	सदस्य	
5	**ग्राम रोजगार सहायक**	सदस्य सचिव	
6	**दो मनरेगा श्रमिक (एक एससी/एसटी)**	सदस्य	
7	**ग्राम पंचायत का एक उद्यमी**	सदस्य	
8	**एफपीओ सदस्य/प्रगतिशील किसान**	सदस्य	

समिति का उद्देश्य: गरीबी मुक्त और आजीविका संवर्धन गांव के लिए सटीक और समावेशी योजना तैयार करना, जिसमें ग्राम पंचायत के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना शामिल है।

स्वास्थ्य समिति (थीम 2: स्वस्थ गांव)

क्रमांक	पद का नाम	सदस्यता	उत्तरदायित्व
1	**महिला वार्ड सदस्य**	अध्यक्ष	• विषय से संबंधित प्राथमिक एवं द्वितीयक डेटा का संग्रह, मिशन अंत्योदय डेटा की गैप पहचान • स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों एवं पदाधिकारियों के साथ समन्वय, पंचायत विकास सूचकांक कार्य • वीपीआरपी योजना का अध्ययन, संसाधन आवरण • ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा तैयार की गई योजना का परीक्षण • संसाधन पहचान (वित्तीय संसाधन आवरण), विषयगत प्रारूप तैयार करना
2	**एक वार्ड सदस्य (एससी/एसटी)**	सदस्य	
3	**डॉक्टर/फार्मासिस्ट/स्वास्थ्य कार्यकर्ता**	सदस्य	
4	**आशा कार्यकर्ता**	सदस्य सचिव	
5	**सक्रिय महिला मंडल सदस्य**	सदस्य	

क्रमांक	पद का नाम	सदस्यता	उत्तरदायित्व
6	**ग्राम संगठन के दो पदाधिकारी (एक एससी/एसटी)**	सदस्य	
7	**एक सक्रिय युवा क्लब सदस्य**	सदस्य	
8	**ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति**	सदस्य	

समिति का उद्देश्य: स्वस्थ ग्राम की योजना बनाना, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर समन्वय, संसाधनों की पहचान, और समग्र स्वास्थ्य सुधार के लिए आवश्यक कदम शामिल हों।

बाल विकास समिति (थीम 3: बाल-मैत्रीपूर्ण गांव)

क्रमांक	पद का नाम	सदस्यता	उत्तरदायित्व
1	**महिला वार्ड सदस्य**	अध्यक्ष	• विषय से संबंधित प्राथमिक एवं द्वितीयक डेटा का संग्र • विषय से संबंधित मिशन अंत्योदय डेटा की गैप पहचान • आईसीडीएस पदाधिकारियों के साथ समन्वय • विषय से संबंधित पंचायत विकास सूचकांक कार्य • वीपीआरपी योजना का अध्ययन • संसाधन पहचान (वित्तीय संसाधन आवरण) • विषयगत स्थिति का विश्लेषण • बच्चे के लिए मैत्रीपूर्ण गांव की मसौदा योजना तैयार करना
2	**एक वार्ड सदस्य (एससी/एसटी)**	सदस्य	
3	**आंगनवाड़ी कार्यकर्ता**	सदस्य	
4	**सक्रिय महिला मंडल सदस्य**	सदस्य	
5	**ग्राम संगठनों (वीओ) के अध्यक्ष (एससी/एसटी)**	सदस्य	
6	**एक सक्रिय युवा क्लब सदस्य**	सदस्य	
7	**महिला स्कूल अध्यापिका**	सदस्य	
8	**सेवानिवृत्त कर्मचारी**	सदस्य	

समिति का उद्देश्य: बाल-मैत्रीपूर्ण गांव की योजना बनाना, जिसमें बच्चों के समग्र विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान, डेटा संग्रह, और विश्लेषण के साथ-साथ समुदाय और विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना शामिल है।

जल संरक्षण समिति (थीम 4: जल पर्याप्त गांव)

क्रमांक	पद का नाम	सदस्यता	उत्तरदायित्व
1	**ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष**	अध्यक्ष	• विषय से संबंधित प्राथमिक एवं द्वितीयक डेटा का संग्र • विषय से संबंधित मिशन अंत्योदय डेटा की गैप पहचान • विषयगत पंचायत विकास सूचकांक कार्य • विषय से संबंधित पंचायत विकास सूचकांक कार्य • वीपीआरपी योजना का अध्ययन • जल शक्ति विभाग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय • संसाधन पहचान (वित्तीय संसाधन आवरण) • जल शक्ति विभाग द्वारा तैयार ग्राम कार्य योजना का परीक्षण • जल पर्याप्त ग्राम के लिए विषयगत प्रारूप योजना तैयार करना
2	**एक वार्ड सदस्य (अनुसूचित जाति/जनजाति)**	सदस्य	
3	**ग्राम रोजगार सेवक**	सदस्य	
4	**सक्रिय महिला मंडल सदस्य**	सदस्य	
5	**ग्राम संगठनों (वीओ) के अध्यक्ष (एससी/एसटी)**	सदस्य	
6	**अध्यक्ष, जल एवं स्वच्छता समिति**	सदस्य	
7	**जलरक्षक**	सदस्य	
8	**सेवानिवृत्त कर्मचारी**	सदस्य	

समिति का उद्देश्य: जल संरक्षण और समुचित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाना, जिसमें डेटा संग्रह, विश्लेषण, और विभागीय समन्वय के माध्यम से जल पर्याप्त गांव का निर्माण शामिल है।

पर्यावरण समिति (थीम 5: स्वच्छ एवं हरित गांव)

क्रमांक	पद का नाम	सदस्यता	उत्तरदायित्व
1	**महिला वार्ड सदस्य**	अध्यक्ष	• विषय से संबंधित प्राथमिक एवं द्वितीयक डेटा का संग्रह • मिशन अंत्योदय डेटा की गैप पहचान • विषयगत अंत्योदय डेटा का विश्लेषण • एसबीएम (जी) और वन विभाग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय • पंचायत विकास सूचकांक कार्य • वीपीआरपी योजना का अध्ययन और संसाधन पहचान (वित्तीय संसाधन आवरण) • विषयगत स्थिति का विश्लेषण • स्वच्छ एवं हरित गांव के लिए विषयगत प्रारूप योजना तैयार करना
2	**एक वार्ड सदस्य (अनुसूचित जाति/जनजाति)**	सदस्य	
3	**स्वच्छता दूत**	सदस्य	
4	**सक्रिय महिला मंडल सदस्य**	सदस्य	
5	**ग्राम संगठनों (वीओ) के दो पदाधिकारी (एससी/एसटी)**	सदस्य	
6	**वन प्रबंध समिति/वन विकास समिति का सदस्य**	सदस्य	
7	**वनरक्षक**	सदस्य	
8	**सक्रिय युवा क्लब सदस्य**	सदस्य	

समिति का उद्देश्य: स्वच्छ और हरित गांव के निर्माण के लिए पर्यावरण संरक्षण, वन प्रबंधन, और स्वच्छता अभियानों का आयोजन एवं समन्वय करना, जिसमें डेटा संग्रह, विश्लेषण, और संसाधनों की पहचान शामिल है।

बुनियादी ढांचा विकास समिति (थीम 6: आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव)

क्रमांक	पद का नाम	सदस्यता	उत्तरदायित्व
1	**ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष**	अध्यक्ष	• विषय से संबंधित प्राथमिक एवं द्वितीयक डेटा का संग्रह • समिति में सक्रिय रूप से योगदान देना। • मिशन अंत्योदय डेटा की गैप पहचान करना। • समिति के कार्यों में भागीदारी और सहयोग। • संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना। • पंचायत विकास सूचकांक कार्य और वीपीआरपी योजना का अध्ययन। • संसाधनों की पहचान और वित्तीय आवरण सुनिश्चित करना। • आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाले गांव की योजना का प्रारूप तैयार करना। • लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग देना। • सचिव के रूप में कार्य और सभी गतिविधियों का समन्वय।
2	**एक वार्ड सदस्य**	सदस्य	
3	**ग्राम पंचायत सचिव**	सदस्य	
4	**एक सक्रिय महिला मंडल सदस्य**	सदस्य	
5	**PWD, IPH और RD विभाग के पदाधिकारी**	सदस्य	
6	**ग्राम संगठनों (वीओ) के दो पदाधिकारी**	सदस्य	
7	**ग्राम पंचायत का पंजीकृत सरकारी ठेकेदार**	सदस्य	
8	**GP वर्क्स समिति के अध्यक्ष (सदस्य)**	सदस्य	
9	**एक सक्रिय युवा क्लब सदस्य (सदस्य)**	सदस्य	
10	**ग्राम रोजगार सेवक (सदस्य सचिव)**	सदस्य सचिव	

सामाजिक विकास समिति (थीम 7: सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सुरक्षित गांव)

क्रमांक	पद का नाम	सदस्यता	उत्तरदायित्व
1	**महिला वार्ड सदस्य (एससी/एसटी)**	अध्यक्ष	• प्राथमिक एवं द्वितीयक डेटा का संग्रह। • समिति के कार्यों में सहयोग और योगदान। • मिशन अंत्योदय डेटा की गैप पहचान। • समिति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना। • सामाजिक विकास के लिए समन्वय स्थापित करना। • पंचायत विकास सूचकांक से संबंधित कार्यों का निष्पादन। • समावेशिता सुनिश्चित करना। • वीपीआरपी योजना का अध्ययन और संसाधनों की पहचान। • न्यायसंगत एवं सुरक्षित गांव के लिए योजना तैयार करना। • न्यायसंगत एवं सुरक्षित गांव के लिए योजना तैयार करना।
2	**एक वार्ड सदस्य**	सदस्य	
3	**भूतपूर्व सैनिक**	सदस्य	
4	**एक सक्रिय महिला मंडल सदस्य**	सदस्य	
5	**सामाजिक न्याय विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के पदाधिकारी**	सदस्य	
6	**ग्राम संगठनों (वीओ) के दो पदाधिकारी**	सदस्य	
7	**विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति**	सदस्य	
8	**आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा कार्यकर्ता**	सदस्य	
9	**एकल महिला/विधवा/ट्रांसजेंडर**	सदस्य	

सुशासन समिति (थीम 8: सुशासन वाले गांव)

क्रमांक	पद का नाम	सदस्यता	उत्तरदायित्व
1	ग्राम पंचायत प्रधान	अध्यक्ष	• प्राथमिक और द्वितीयक डेटा का संग्रह। • मिशन अंत्योदय डेटा की गैप पहचान करना। • पंचायत विकास सूचकांक कार्य में योगदान। • ग्राम संगठनों के समन्वय में सहयोग। • सुशासन योजना में सक्रिय भागीदारी। • वीपीआरपी योजना का अध्ययन। • सुशासन ग्राम की योजना का प्रारूप तैयार करना। • कार्यों में समावेशिता सुनिश्चित करना।
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वार्ड सदस्य	सदस्य	
3	ग्राम पंचायत सचिव	सदस्य	
4	लोक मित्र केन्द्र के प्रतिनिधि	सदस्य	
5	एक सक्रिय महिला मंडल सदस्य	सदस्य	
6	ग्राम संगठनों के दो पदाधिकारी (वीओ)	सदस्य	
7	एक सक्रिय युवा क्लब सदस्य	सदस्य	
8	एकल महिलाएं/विधवा/ट्रांसजेंडर	सदस्य	

महिला विकास समिति (थीम 9: महिला अनुकूल गांव)

क्रमांक	पद का नाम	सदस्यता	उत्तरदायित्व
1	महिला वार्ड सदस्य (एससी/एसटी)	अध्यक्ष	• प्राथमिक और द्वितीयक डेटा का संग्रह। • मिशन अंत्योदय डेटा की गैप पहचान। • महिला मंडलों की अध्यक्षों के साथ समन्वय। • आईसीडीएस और ग्राम संगठनों के साथ समन्वय। • पंचायत विकास सूचकांक कार्य और संसाधन पहचान। • महिला मैत्रीपूर्ण ग्राम हेतु योजना का प्रारूप तैयार करना।
2	एक महिला वार्ड सदस्य	सदस्य	
3	महिला स्कूल अध्यापिका	सदस्य	
4	महिला मंडल अध्यक्ष	सदस्य	
5	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	सदस्य सचिव	
6	सेवानिवृत्त शिक्षिका (महिला)	सदस्य	

Annexure - VI - मॉक GPDP योजना

क्रमांक	ग्राम पंचायत का विवरण	संख्या
1.	ग्राम पंचायत का नाम	
2.	ब्लॉक का नाम	
3.	जिले का नाम	
4.	राज्य का नाम	
5.	वार्डों की संख्या	
6.	राजस्व गांवों की संख्या	
7.	पंजीकृत मतदाताओं की संख्या	
8.	अनुसूचित जाति (एससी) वार्ड सदस्यों की संख्या	
9.	अनुसूचित जनजाति (एसटी) वार्ड सदस्यों की संख्या	
10.	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वार्ड सदस्यों की संख्या	
11.	महिला वार्ड सदस्यों की संख्या	
12.	स्थायी समितियों की संख्या	
13.	2021-22 के दौरान आयोजित ग्राम सभाओं की संख्या	
14.	2021-22 के दौरान आयोजित महिला सभाओं की संख्या	
15.	2021-22 के दौरान आयोजित बाल सभाओं की संख्या	
16.	डीपीओ द्वारा अंतिम ऑडिट की तिथि	
17.	अंतिम सामाजिक ऑडिट की तिथि	
18.	जीपी कार्यालय में बनाए गए रजिस्टरों की संख्या	
19.	जीपी में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	
20.	जीपी में हाई स्कूलों की संख्या	
21.	जीपी में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या	
22.	खेल के मैदानों की संख्या	
23.	पार्कों/पंचवटी पार्कों की संख्या	

24.	स्वास्थ्य उपकेंद्रों की संख्या	
25.	पीएचसी की संख्या	
26.	आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	
27.	स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या	
28.	बीपीएल परिवारों की संख्या	
29.	बैंकों/बैंक शाखाओं की संख्या	
30.	एटीएम की संख्या	
31.	एनजीओ/युवा क्लबों की संख्या (पंजीकृत होने पर उल्लेख करें)	
32.	2021-2022 के लिए स्वीकृत योजना बजट (रु.)	
33.	2022-2023 के लिए स्वीकृत योजना बजट (रु.)	
34.	2021-22 में 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान (रु.)	
35.	2022-23 में 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान (रु.)	
36.	2021-22 में प्राप्त मनरेगा अनुदान (रु.)	
37.	2022-23 में प्राप्त मनरेगा अनुदान (रु.)	
38.	2021-22 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान (रु.)	
39.	2022-23 में राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान (रु.)	
40.	2021-22 में सृजित ओएसआर	
41.	2021-22 में उपयोग किया गया ओएसआर	
42.	जीपी की कुल भूमि (हेक्टेयर में)	
43.	2021-22 में प्राप्त आरटीआई की संख्या	
44.	2022 में प्राप्त आरटीआई की संख्या (वर्तमान तक)	
45.	सौर स्ट्रीट लाइट की कुल संख्या	
46.	क्या कोई सौर स्ट्रीट लाइट नहीं है? (जीपीडीपी में लागत/कम लागत वाली गतिविधियाँ जोड़ी गईं?)	
47.	2022 में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए जीपीडीपी पर प्रशिक्षणों की संख्या	
48.	2022 में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एलएसडीजी पर प्रशिक्षणों की संख्या	
49.	2022 में पंचायत कर्मचारियों के लिए जीपीडीपी पर प्रशिक्षणों की संख्या	
50.	2022 में पंचायत कर्मचारियों के लिए एलएसडीजी पर प्रशिक्षणों की संख्या	

क्रमांक	क्षेत्र	समस्या
1.	स्वास्थ्य	1.
		2.
		3.
2.	स्वच्छता	1.
		2.
		3.
3.	कृषि	1.
		2.
		3.
4.	पशुपालन	1.
		2.
		3.
5.	महिलाएं/लड़कियां	1.
		2.
		3.
6.	बच्चे	1.
		2.
		3.
7.	बुजुर्ग	1.
		2.
		3.
8.	PwD (विकलांग व्यक्ति)	1.
		2.
		3.

9.	एससी/एसटी/ओबीसी	1.
		2.
		3.

गतिविधि प्राथमिकता

(संकल्प और वीपीआरपी के आधार पर)

पंचायतों के चुने हुए संकल्प:

A. _____

B. _____

C. _____

क्रम संख्या	वीपीआरपी से गतिविधि का नाम	निधि का स्रोत	राशि (रुपये में)	पूरा होने का अनुमानित महीना
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

क्रमांक	संकल्प का नाम	गतिविधि विवरण	भौतिक लक्ष्य (कुल संख्या, किलोमीटर में लंबाई आदि)	स्थान	निधि का स्रोत	बंधा हुई राशि (रु.)	अनबंधित राशि (रु.)	कम लागत/ बिना लागत (हां/नहीं)	लाभार्थियों की कुल संख्या
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									

मुख्य भाग लेने वाले लाइन विभागों की सूची:	
लाइन विभाग	ग्राम सभा में उपस्थित अधिकारियों की संख्या

थीम	गतिविधियाँ
थीम 1: गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका (गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका)	
थीम 2: स्वस्थ गाँव (स्वस्थ गाँव)	
थीम 3: बच्चों के अनुकूल गाँव (बच्चों के अनुकूल गाँव)	
थीम 4: पानी से भरपूर गाँव (पानी से भरपूर गाँव)	
थीम 5: स्वच्छ और हरा-भरा गाँव (स्वच्छ और हरा-भरा गाँव)	
थीम 6: आत्मनिर्भर बुनियादी ढाँचा (आत्मनिर्भर बुनियादी ढाँचा)	
थीम 7: सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव (सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव)	
थीम 8: सुशासन (सुशासन)	
थीम 9: महिलाओं के अनुकूल गाँव (महिलाओं के अनुकूल गाँव)	
थीम 6: आत्मनिर्भर बुनियादी ढाँचा (आत्मनिर्भर बुनियादी ढाँचा)	

Annexure - VII - Success Stories

ग्राम पंचायत कुफरी-शावाह | ब्लॉक: मशोबरा | जिला: शिमला

सफलता की कहानी किस एलएसडीजी थीम से संबंधित है?
आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा

उपलब्धि का वर्ष:
2024

सफलता प्राप्त करने से पहले की स्थितियाँ:

- ग्राम पंचायत के सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहद खराब थी, जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी थी।
- ग्राम पंचायत के सभी गांव सड़कों से नहीं जुड़े थे, और मुख्य सड़क कच्ची थी।
- बरसात के मौसम में नदियों के तेज प्रवाह के कारण कई गांव पूरी तरह कट जाते थे।
- कुछ गांवों में पक्के रास्तों की सुविधा नहीं थी।
- सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय की उपलब्धता नहीं थी।
- पक्की सड़कों में जल निकासी व्यवस्था उचित नहीं थी।
- मौजूदा प्राकृतिक जल स्रोतों में जल भंडारण की समुचित व्यवस्था नहीं थी।
- वर्षा जल संग्रहण प्रणाली अव्यवस्थित थी।
- सार्वजनिक स्थानों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स नहीं थीं, जिससे रात में स्थानीय लोगों और पर्यटकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
- महिलाओं के पास बैठकें करने के लिए सामुदायिक भवन या उपयुक्त स्थान की कमी थी।

सफलता प्राप्त करने के बाद की स्थितियाँ:

- सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ, जिसमें खेल के मैदान की मरम्मत, स्कूल के फर्श पर टाइल्स, डेस्क का वितरण, पानी के कनेक्शन, पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए एक्वा गार्ड का लगाना और शौचालय का निर्माण शामिल है।
- अब सभी गांव सड़क से जुड़े हुए हैं और बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं।
- पुल का निर्माण होने से बरसात के मौसम में गांवों का संपर्क बाधित नहीं होता।
- कई पक्के रास्तों और रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया गया है।
- सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय बनाए गए हैं और कुछ निर्माणाधीन हैं।
- जल निकासी प्रणाली का निर्माण किया गया है।
- प्राकृतिक संसाधनों के जल भंडारण की समुचित व्यवस्था की गई है।
- कई गांवों में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली स्थापित की गई है।
- सोलर स्ट्रीट लाइट्स विभिन्न स्थानों पर लगाई गई हैं, जिससे रात में सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।
- महिला मंडलों का गठन किया गया है।
- सार्वजनिक स्थानों पर दीवार पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छता और जल संरक्षण की जागरूकता फैलाई गई है।

परिवर्तन में शामिल लोग/हितधारक:
पंचायत प्रतिनिधि, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग, एचआरटीसी, डीआरडीए

परिवर्तन के परिणाम:

- कृषि गतिविधियों और किसानों की आय में वृद्धि:
  - सड़क संपर्क और बस सेवा ने किसानों की आय और बाजार तक पहुंच को आसान बनाया है।
- गांव से पलायन में कमी:
  - बेहतर सड़क संपर्क, पुल निर्माण और स्कूलों के सुधार के चलते पलायन में कमी आई है।

- स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार:
  - सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण से लोग मल जनित बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, जिससे अस्वच्छ परिस्थितियों और स्वास्थ्य जोखिमों में कमी आई है।
- जल संरक्षण के प्रति जागरूकता में वृद्धि:
  - वर्षा जल संग्रहण टैंकों और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवित होने से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
- आर्थिक लाभ:
  - पर्यटन के बढ़ने से राजस्व सृजन की संभावना बढ़ी है।
  - जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि:
  - स्थिरता और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देने के साथ पंचायत निवासियों की जीवन गुणवत्ता में समग्र सुधार हुआ है।
  - अन्य पंचायतों के लिए रोल मॉडल:
  - कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता में प्रगति ने अन्य पंचायतों के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है।

- **समुदाय पर प्रभाव:**
  - लचीलापन में वृद्धि:
    - आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे के साथ गांव बाहरी कारकों पर कम निर्भर हो गए हैं, जिससे प्राकृतिक आपदाओं या व्यवधानों के प्रति अधिक लचीले बने हैं।
  - लागत में बचत:
    - केंद्रीकृत और महंगे बुनियादी ढांचे पर निर्भरता कम होने से ग्रामवासियों के खर्चों में कमी आई है।
  - पर्यावरणीय स्थिरता:
    - नवीकरणीय ऊर्जा और जल प्रबंधन ने गांव के पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ हुआ है।
  - सामुदायिक सशक्तिकरण:
    - ग्रामवासियों ने बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण पाकर सामुदायिक गौरव और आत्मनिर्भरता का अनुभव किया है।
  - आर्थिक अवसर:
    - स्थानीय नौकरियों और नए व्यवसायों के आगमन से आर्थिक अवसर बढ़े हैं।
  - जीवन की गुणवत्ता में सुधार:
    - ग्रामवासियों को बेहतर सेवाएं और संसाधनों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त हुआ है।
  - ज्ञान और कौशल विकास:
    - आत्मनिर्भरता की दिशा में समुदाय में विशेषज्ञता और प्रशिक्षण के अवसर बढ़े हैं।
  - हालांकि, इस प्रकार के परिवर्तन चुनौतियों के साथ भी आते हैं, जैसे कि प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता, सामुदायिक समन्वय और शासन की मांग, और बदलाव के प्रति प्रतिरोध। सफल कार्यान्वयन के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है, जो समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखे।

समुदाय का योगदान:

- भूमि दान: विकास कार्यों के लिए भूमि उपलब्ध कराना।
- वित्तीय सहायता: विकास में आर्थिक सहयोग देना।
- स्वयंसेवा: सामुदायिक कार्यों में श्रम या विशेषज्ञता प्रदान करना।
- सामुदायिक स्वामित्व: सामुदायिक संरचना के प्रति जिम्मेदारी लेना।
- निगरानी और प्रतिक्रिया: पंचायत कार्यों पर प्रतिक्रिया देना और उनकी निगरानी करना।
- तकनीकी विशेषज्ञता: निर्माण कार्यों में विशेषज्ञता प्रदान करना।
- संसाधन जुटाना: निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री या अन्य संसाधनों की व्यवस्था करना।

ग्राम पंचायत पूह | ब्लॉक: पूह | जिला: किन्नौर

सफलता की कहानी किस एलएसडीजी थीम से संबंधित है?

सवच्छ एवं हराभरा

सफलता प्राप्त करने से पहले की स्थितियाँ:

यहाँ की घनी आबादी होने के साथ -साथ विभिन्न विभागों में कार्यरत मुलाज़िमो व सैंकड़ों बाहरी मजदूरों के यहाँ रहने से ठोस कचरों में बहुत बढ़ोतरी हो रही थी | जिससे ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई थी | ग्राम पंचायत द्वारा सरकार के दिशा निर्देश अनुसार ग्रामवासियों को कूड़ा कर्कटो के निपटान हेतू यथा संभव नियमित रूप से जागरूक करने का भरसक प्रयास किया गया इस समस्या के निपटान हेतू ग्राम पंचायत सदस्य एक दिन **हीलिंग हिमालय फाउन्डेशन** के संस्थापक से मिले जिन्होंने हिमालय क्षेत्रों से कचरा साफ़ करने का कठिन कार्य सम्भाला है | संस्था के साथ संपर्क होने के बाद पूह गाओं के चारो तरफ फैले कूड़ा करकट के निपटान हेतु गंभीर रूप से चर्चा की गयी और निर्णय लिया गया की यथासंभव ग्राम पंचायत पूह को कचरा मुक्त ग्राम पंचायत बनाएंगे |

उपलब्धि का वर्ष:

2023-24

सफलता प्राप्त करने के बाद की स्थितियाँ:

अब तक ग्राम पंचायत द्वारा टनो के हिसाब से ठोस कचरा इकटठा कर और विधिपूर्वक पृथकरण कर शेड में रखा है तथा कुछ कचरों को गंतव्य तक पहुंचा भी दिया है |इस से पहले गाँव के चारों तरफ कचरा फैला हुआ था जो देखते ही गाँव सुन्दरता को धूमिल कर रहा था परन्तु जब से ग्राम पंचायत ने हर वार्ड से कचरा उठाना, संवेदन शील स्थानों से कूड़ा कर्कटो को उठा कर ठोस कचरा प्रबन्धन पर कार्य करना आरम्भ किया तब से आज तक 80%गंदगी को फैलने से नियंत्रण कर पाया है ,तथा ग्राम पंचायत की कोशिश लगातार जारी है कि इस वर्ष के अंत तक ग्राम पूह को ठोस कचरा मुक्त गाँव बनाए |

परिवर्तन में शामिल लोग/हितधारक:

ग्राम पंचायत एवं सम्पूर्ण ग्रामवासी

परिवर्तन के परिणाम:

संतोषजनक

समुदाय पर प्रभाव:

पूर्व में ग्रामवासी कूड़ा बाहर फैंकते थे परन्तु जबसे पंचायत द्वारा वार्ड वाइज़ कूड़ा उठाना आरम्भ किया है तब से लोग कूड़ा बाहर न फैंक कर कूड़ा उठाने वाले मजदूरों को दिया जा रहा है |

समुदाय का योगदान:

समुदाय द्वारा पंचायत को लगातार सहयोग प्रदान किया जा रहा है |

निधि उपयोग की स्थिति (संसाधन साझाकरण)

15वें वित्तायोग अन्तर्गत से मजदूरों को मजदूरी अदायगी किया जा जा रहा है ,भविष्य में लोगो से स्वच्छता शुल्क लेकर मजदूरों को मजदूरी अदा की जाएगी |

सफलता की कहानी किस एलएसडीजी थीम से संबंधित है?
थीम-9: महिला हितैषी गांव

उपलब्धि का वर्ष:
2024

सफलता प्राप्त करने से पहले की स्थितियाँ:

- ग्राम सभा और अन्य पंचायत गतिविधियों, जैसे विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित शिविरों और अभियानों में महिलाओं की सीमित भागीदारी।
- महिलाओं में सशक्तिकरण की कमी:
- प्रशिक्षण, संसाधनों और सहायता प्रणालियों तक सीमित पहुँच।
- प्रेरणा की कमी।
- महिलाओं का एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) से जुड़ाव नहीं होने के कारण:
- पंचायत की महिलाओं के बीच समन्वय की कमी।
- उत्पादों को बाज़ारों तक पहुँचाने में वित्तीय समस्याएँ।
- स्थानीय बाज़ारों, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर एनआरएलएम कार्यक्रमों तक सीमित पहुँच।
- सफल मॉडलों और महिलाओं की भागीदारी के सर्वोत्तम तरीकों तक सीमित जानकारी।
- महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों और उनकी प्रतिभा को मान्यता नहीं मिलना।
- सामुदायिक स्वीकृति की कमी, जिससे महिलाओं को कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने में चुनौतियाँ।

सफलता प्राप्त करने के बाद की स्थितियाँ:

- पंचायत की विभिन्न गतिविधियों, जैसे ग्राम सभा, जागरूकता शिविर, स्वास्थ्य शिविर, कृषि/बागवानी शिविर, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान आदि में महिलाओं की बढ़ी भागीदारी।
- स्वयं सहायता समूहों के गठन से:
- महिलाओं के बीच बेहतर समन्वय और भागीदारी।
- उत्पादों की गुणवत्ता और विविधता में सुधार।
- महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बन गईं।
- स्थानीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए स्टॉल लगाए गए।
- उन्हें अपने योगदान और प्रतिभा के लिए पुरस्कृत किया गया।
- स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिला।
- स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार:
  - आशा कार्यकर्ता द्वारा माताओं और किशोरियों की नियमित देखभाल।
  - गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा नियमित जाँच।
  - स्कूलों और आंगनवाड़ियों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्रदान की गईं।
- कृषि और बागवानी में सुधार:
  - आधुनिक कृषि/बागवानी पद्धतियों और जैविक खेती में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि।
- सामुदायिक स्वीकृति: महिलाओं के योगदान को सामाजिक स्तर पर मान्यता मिली।
- सशक्त महिलाएँ: महिलाओं को प्रशिक्षण और सशक्तिकरण के नए अवसर मिले।
- बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण: स्वास्थ्य शिक्षा और सेवाओं में सुधार।
- कृषि और पर्यावरण में भागीदारी: महिलाओं ने कृषि और पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

परिवर्तन के परिणाम:

- महिलाओं का बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व: पंचायत गतिविधियों में महिलाओं की बढ़ी भागीदारी।
- स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा: हाथ से बने उत्पादों की पहचान और बिक्री में सुधार।
- आर्थिक सशक्तिकरण: महिलाओं की आय में वृद्धि और आर्थिक स्वतंत्रता।
- प्रदर्शनी और प्रदर्शन के अवसर: महिलाओं ने स्थानीय कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया।

समुदाय पर प्रभाव:

1. नागरिक सहभागिता में वृद्धि: पंचायत गतिविधियों में बढ़ी महिलाओं की भागीदारी से समुदाय में सहयोग बढ़ा।
2. लैंगिक समानता: महिलाओं की भागीदारी से समाज में लैंगिक समानता का माहौल बना।
3. आर्थिक सशक्तिकरण: महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुईं, जिससे परिवार और समाज में समृद्धि बढ़ी।
4. स्थानीय उत्पादों की पहचान: स्थानीय स्तर पर उत्पादों और महिलाओं की प्रतिभा को पहचान मिली।
5. ज्ञान और कौशल का विकास: महिलाओं ने विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से अपने कौशल का विकास किया।

समुदाय का योगदान:

स्थान, वित्तीय सहायता, स्वयंसेवा, निगरानी और प्रतिक्रिया में सहयोग प्रदान किया।

निधि उपयोग की स्थिति:

स्वयं का कोष, एनआरएलएम, सामुदायिक निधि।

RGSA YOUTUBE CHANNEL

DOWNLOAD HPPPC BOOKLET 2024-25

DOWNLOAD GUIDE ON E-GRAM SWARAJ UPLOADING

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश

hppanchayat.nic.in